सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2021 / 107 दर्ज तिथिः—09.04.2021

1. दोलसिंह पुत्र भंवरसिंह
2. खुशालसिंह पुत्र खीमसिंह
3. पहाड़सिंह पुत्र नगसिंह
   3 / 1 विक्रमसिंह पुत्र पहाड़सिंह
   3 / 2 अनोपसिंह पुत्र पहाड़सिंह
   3 / 3 अर्जुनसिंह पुत्र पहाड़सिंह
   3 / 4 भंवरी कंवर पत्नी पहाड़सिंह
4. फतेहसिंह उर्फ पतसिंह पुत्र नगसिंह
5. गेनसिंह पुत्र नगसिंह
6. जूंजारसिंह पुत्र जबरसिंह
   जाति राजपुत निवासी धांधलावास तहसील गुड़ामालानी

..............................वादीगण

बनाम

1. केसरसिंह पुत्र भैरसिंह
2. जोगसिंह पुत्र भेरसिंह
   जाति राजपुत निवासी धांधलावास तहसील गुड़ामालानी

..........................असल प्रतिवादीगण

3. राजस्थान सरकार तहसीलदार गुड़ामालानी

...............तकमीली प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री हरीशचन्द्र चौधरी
प्रतिवादीः—श्री नारायण कुमावत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

—ःनिर्णयः—

निर्णय तिथिः—04.05.2026

1. आज यह पत्रावली दावा बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा—88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। हस्तगत वाद पत्र निणर्यन हेतु प्रकरण का सारतः सूक्ष्म विवरण इस प्रकार से हैः—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.14 10:19:12 IST
Reason: SelfAttested

- कि वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 हिन्दु विधि से शासित होते है। पुर्व पुरूष स्वर्गीय अमरसिंह के वंशज है। उक्त हिन्दु परिवार का वंशवृक्ष निम्नानुसार है—

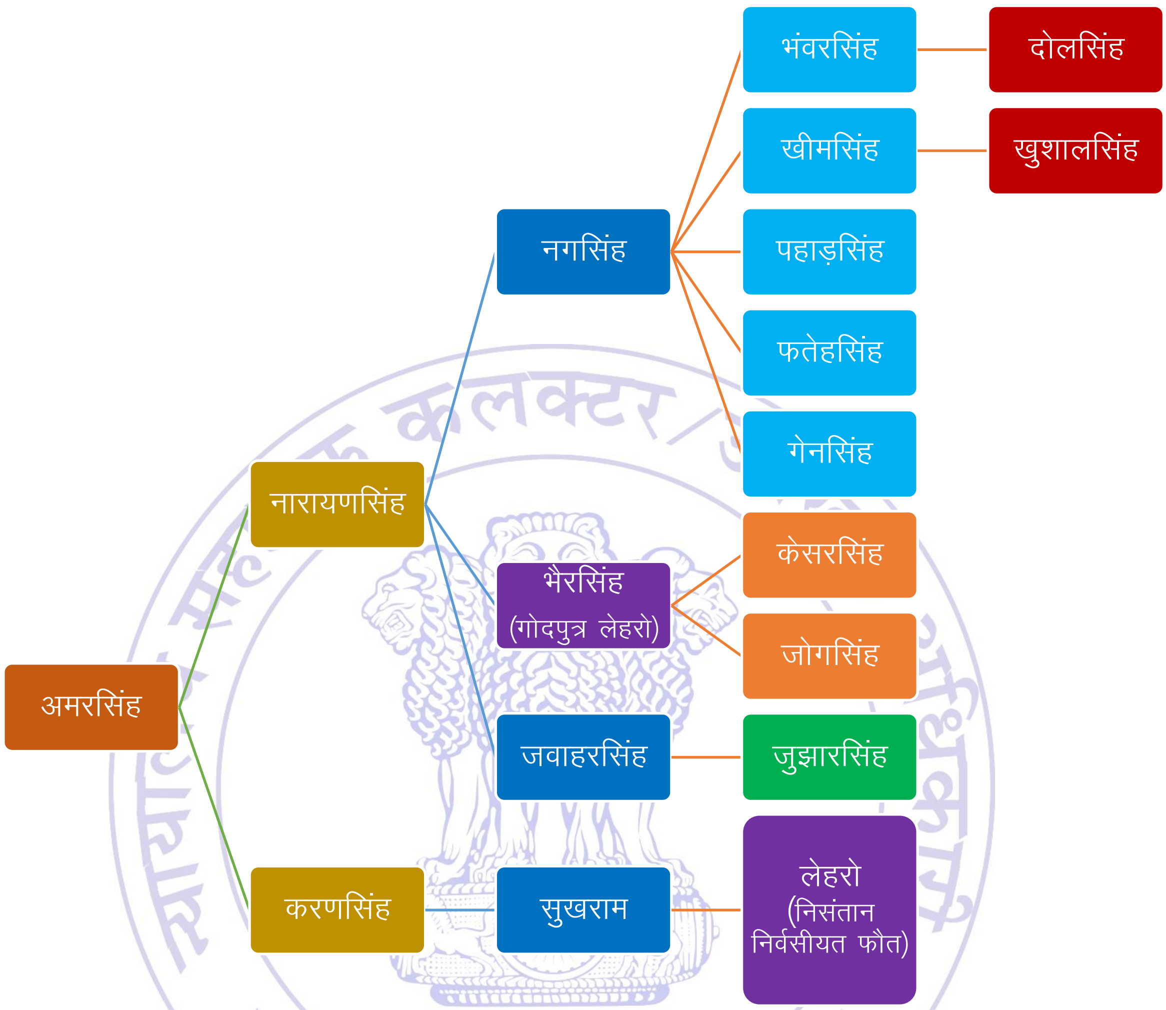

- कि वक्त बंदोबस्त सगे भाई नारायणसिंह व करणसिंह की पृथक–पृथक आराजी ग्राम धांधलावास में निम्नानुसार खातेदारी में अमलदरामद हुई—

नारायणसिंह		करणसिंह	
खसरा संख्या	रकबा	खसरा संख्या	रकबा
50	74—05 बीघा	51	55—00 बीघा
61	25—17 बीघा	57	27—02 बीघा
114	32—05 बीघा	68	27—12 बीघा
150	10—06 बीघा	82	150—07 बीघा
कुल	142—13 बीघा	131	29—09 बीघा
		180	22—08 बीघा
		कुल	311—18 बीघा

- कि खातेदार करणसिंह के फौत होने पर विरासत में करणसिंह के पुत्र रूपसिंह को खातेदारी प्राप्त हुई। रूपसिंह की निःसंतान फौत हो जाने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.14 10:19:12 IST
Reason: SelfAttested

खातेदारी रूपसिंह की पत्नी मु. लेहरो का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ। तत्पश्चात लेहरों का भी निर्वसीयती फौत हो गई। लेहरो ने अपने पति का वंश चलाने के लिये कभी किसी को गोद नहीं लिया। उसके निर्वसीयती एवं निसंतान फौत होने से उसके नाम अंकित खातेदारी जौत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–8 वर्ग दो अनुसार निकटतम संबंधी नगसिंह, भैरसिंह व जवाहरसिंह में निहित हो गई। नगसिंह, भैरसिंह व जवाहरसिंह का पैतृक रकबा 142–13 बीघा व लेहरो फौत से प्राप्त रकबा 311–18 बीघा कुल रकबा 454–11 बीघा निहित हो गया।

- कि नगसिंह, भैरसिंह व जवाहरसिंह के पिता नारायणसिंह का भी देहांत हो गया। नारायणसिंह व लेहरो की फौतगी पर विरासत का नामान्तरण दर्ज करवाने हेतु भैरसिंह पुत्र नारायणसिंह द्वारा हल्का पटवारी से संपर्क कर एवं अपने दुरगामी लाभ के उद्देश्य से मु0 लेहरोदेवी की आराजी रकबा 311–18 बीघा का नामान्तरण संख्या 3 अपने पक्ष में व नगसिंह, भैरसिंह व जवाहरसिंह के पिता नारायणसिंह की आराजी रकबा 142–13 बीघा का नामान्तरण 4 अपने दोनों भाईयो नगसिंह व जवाहरसिंह के नाम स्वीकृत करवा दिया।
- कि लेहरोदेवी निसंतान एवं निर्वसीयत फौत होने व नारायणसिंह के फौत होने पर उक्त दोनो की आराजी संयुक्त रकबा 454–11 बीघा में नगसिंह, भैरसिंह व जवाहरसिंह तीनों का बहिस्सा बराबर–बराबर 151–10 बीघा नियमानुसार बनता है।
- कि वादग्रस्त आराजी में से नगसिंह व जवाहरसिंह द्वारा बेचान नहीं किया गया। परंतु स्व0 भैरसिंह व उनके वारिस प्रतिवादी संख्या 02 जागसिंह द्वारा वादग्रस्त आराजी में से बेचान किया जिसका विवरण निम्नानुसार है–

विक्रेता	क्रेता	मूल खसरा सं.	मूल रकबा बीघा में	बेचा गया रकबा बीघा में	शेष रकबा बीघा में.
भैरसिंह	चैनसिंह मुजुदा खातेदार जबरसिंह व शंभूसिंह	51	55–00	55–00	00
भैरसिंह	करना जाट	82	150–07	26–00	124–07
जोगसिंह प्रतिवादी सं. 02	जुंजारसिंह	68	27–12	13–16	13–16
जोगसिंह	सड़क व जुंजारसिंह	131	29–09 सड़क विक्रय	02–10 13–09	13–10
जोगसिंह	अवाप्त लीलाकंवर	180	22–08	05–01 08–13 13–14	08–14

- कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हिस्से में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार 151–10 बीघा भूमि आती है। परंतु प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पिता व प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा विधिक हिस्से से अधिक आराजी का बेचान किया है। वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम खसरा संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.14 10:19:12 IST
Reason: SelfAttested

57 रकबा 27—02 बीघा व खसरा संख्या 82 रकबा 124—07 बीघा कुल रकबा 151—09 बीघा मौजा देवड़ो की ढाणी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार कुल 116—18 बीघा जमीन का बेचान किया जा चुका है।

- कि प्रतिवादी संख्या 02 का खसरा संख्या 68 में रकबा 13—16 बीघा, 131 में रकबा 13—10 बीघा, 180 में रकबा 08—14 बीघा कुल रकबा 36—00 बीघा खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार बेचान की गई भूमि 116—18 बीघा व प्रतिवादी संख्या 01 की सहखातेदारी 36—00 बीघा का योग 152—18 बीघा उनके हिस्से के समकक्ष है। देवड़ो की ढाणी का शेष बचा रकबा 151—09 बीघा वादीगण के हिस्से का है। जिस पर वादीगण अपनी खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी है एवं लेहरोदेवी की फौतगी पर अकेले भैरसिंह के पक्ष में खोला गया नामान्तरकरण संख्या 03 को वादीगण के हितो की सीमा तक निष्प्रभावी व शून्य घोषित किया जावे।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 ता 02 असालतन—वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। प्रकरण में अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 ने वादीगण के दावा का जवाब प्रस्तुत करते हुए जवाबदावा पेश कर निम्न प्रकार निवेदन कियाः—

   - कि वादीगण द्वारा वाद में बताया गया सजरा गलत है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पिता भेरसिंह की गोद माता लेहरो बेवा रूपसिंह के खुदकाश्त की भूमि खसरा संख्या 54, 56, 68, 82, 131, 180 मौजा धांधलावास तहसील गुड़ामालानी की आई हुई थी। उक्त आराजी लेहरों बेवा रूपसिंह की खुदकाश्त आराजी होने से वक्त बंदोबस्त लेहरो की खातेदारी में दर्ज होने से लेहरो की स्वअर्जित संपत्ति थी।
   - कि स्व0 लेहरों अपने जीवनकाल में उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पिता भैरसिंह की सहायता से काश्त करती थी। लेहरों के पति रूपसिंह का देहान्त हो जाने से लेहरों व रूपसिंह के कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। लेहरों ने अपने पति रूपसिंह का वंश चलाने के लिए प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पिता भैरसिंह को सामाजिक रीति रिवाजो, रूढ़ि प्रथाओं के अनुसार गोद लिया। तत्पश्चात लेहरों के फौत होने पर फौतगी का नामान्तरण गोदपुत्र प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पिता भैरसिंह के नाम से भरा गया। तत्कालीन समय वादीगण के वालिदान उपस्थित होकर अपनी राजीखुशी से सहमति प्रदान करते हुए रीति रिवाज का अनुसरण किया। लेहरों एक महिला होने के कारण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—14 के प्रावधान लागू होते है। हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम—156 की धारा—8 के अनुसार वादीगण लेहरो के उत्तराधिकारी नहीं हो सकते हे।
   - कि लेहरो बेवा रूपसिंह का देहान्त हो जाने पर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पिता भैरसिंह ने लेहरों का उत्तराधिकारी होने के कारण उप जिलाधीश (जागीर) बाड़मेर के समक्ष आवेदन पेश किया गया। जिस पर उप जिलाधीश (जागीर) बाड़मेर ने आपत्ति हेतु सूचना / नोटिस जारी किया गया। जिस पर वादीगण के वालिदान साथ में रहकर सहमति प्रदान करते हुए प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पिता भैरसिंह के नाम नामान्तरण संख्या 03 दर्ज करवाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.14 10:19:12 IST
Reason: SelfAttested

- कि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पिता भैरसिंह, लेहरो बेवा रूपसिंह के गोद चले जाने के कारण लेहरों बेवा रूपसिंह से हक प्राप्त कर लिया गया। नारायणसिंह के फौत हो जाने से वादीगण के वालिदान केवल नगसिंह व जवाहरसिंह का नामान्तरण संख्या 04 दर्ज करवाया गया। इसमें भैरसिंह, लेहरों बेवा रूपसिंह के गोद जाने से वादीगण के वालिदा द्वारा कोई उजर एतराज नहीं किया गया एवं नगसिंह व जवाहरसिंह के द्वारा अपने उक्त हिस्से पर ऋण भी प्राप्त किया। नगसिंह व जवाहरसिंह के फौतगी का नामान्तरण भी वादीगण ने अपने नाम करवाया। उस समय वादीगण द्वारा कोई उजर एतराज नहीं किया। वर्तमान में कैयर्न, वेदान्ता इत्यादि गैस व तेल कम्पनिया आ जाने के कारण वादीगण के मन में लालच आ गया। इस कारण प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की भूमि हड़पने की नियत से दावा पेश किया गया।
- कि लेहरो बेवा रूपसिंह के खुदकाश्त की भूमि ग्राम धांधलावास तहसील गुड़ामालानी के खसरा संख्या 54, 56, 68, 82, 131, 180 में वादीगण का किसी प्रकार का हक हिस्सा व अधिकार नहीं है। भैरसिंह ने अपने जीवनकाल में खसरा संख्या 51 व 82 में अपना हक व अधिकार होने से आंशिक रकबा का बेचान किया। जिस पर क्रेता काबिज हो गया है। उक्त बेचान को वादीगण के वालिदान द्वारा स्वीकार किया एवं तत्समय कोई उजर एतराज नहीं किया गया। खसरा संख्या 68 व 131 में से क्रेता वादी संख्या 06 ने प्रतिफल प्राप्त कर भूमि क्रय की गई। खसरा संख्या 180 की भूमि न्यायालय भूमि अवाप्ति अधिकारी, बाड़मे के आदेश से ओ.एन.जी.सी. एल. के नाम अवाप्त हुई। भूमि आवाप्त करते समय न्यायालय द्वारा आपत्ति आमंत्रित की गई। उसके बाद अवाप्ति का एवार्ड जारी कर एवार्ड की राशि प्रतिवादी पक्ष भैरसिंह के वारिसान को दी गई। जिसका कभी वादीगण के द्वारा चुनौती नहीं दी गई।
- कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 57 व 82 मौजा देवड़ो की ढाणी तहसील गुड़ामालानी पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है। वादीगण का कब्जा काश्त नहीं रहा है न ही वादीगण के पूर्वजों द्वारा उक्त आराजी पर काश्त की है। वादीगण के द्वारा कब्जा की मांग किये बिना वादी का वाद पोषणीण नहीं है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से कब्जा प्राप्त करने की समयावधि निकल चुकी है इस प्रकार वादी का वाद म्याद बाहर है।
- कि वादीगण के पूर्वजों को लेहरो बेवा रूपसिंह के भैरसिंह गोद जाने की जानकारी शुरू से थी। उसके बाद नारायणसिंह की फौतगी में वादीगण के पूर्वजो ने अपने नाम से नामान्तरण दर्ज करवाया। भैरसिंह को वादीगण के वालिद जवाहरसिंह व नगसिंह की उपस्थिति व रजामंदी से गोद लिया गया था। गोद से संबंधित विवाद का बिन्दु तय करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है। उक्त आधारों पर वादी का दावा पोषणीय नहीं होने से काबिल—ए—खारिज है।

3. प्रकरण में वादी के वादपत्र एवं प्रतिवादीगण के जबाबदावा के पश्चात् पत्रावली पर निम्नानुसार तनकीयात कायम किये गयेः—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.14 10:19:12 IST
Reason: SelfAttested

1. आया वादीगण ग्राम देवड़ों की ढाणी (धांधलावास) के खेत खसरा संख्या 57 रकबा 27—02 बीघा, खसरा संख्या 82 रकबा 124—07 बीघा की भूमि खातेदारी में घोषित करवाने की अधिकारी है।
...........................वादीगण
2. आया आया ग्राम धांधलावास का मुस्मात लेहरों की फौतगी पर अकेले भैरसिंह के पक्ष में खोला गया विरासत का नामान्तकरण संख्या 03 वादीगण के हितों की सीमा तक शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित करवाने की अधिकारी है?
................वादीगण
3. आया वादीनी बाद घोषणा उक्त विवादित भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है।
...........................वादीगण
4. आया वादीगण के द्वारा कब्जा की मांग किये बिना वादीगण का वाद पोषणीय नहीं है, वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 से कब्जा प्राप्ति की समयावधि निकल चुकी है जिससे वादीगण का वाद म्याद बाहर होने से वाद वादीगण खारिज योग्य है?
...........................प्रतिवादी संख्या 01
5. आया वादग्रस्त आराजी ग्राम देवड़ों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 57 व 82 जरिये पंजीबद्ध दस्तावेज के रहन भारतीय स्टेट बैंक पक्ष में रखी गई है, जो उक्त वाद में हितबद्ध पक्षकार हैं, भारतीय स्टेट बैंक आवश्यक पक्षकार के अभाव में वाद पोषणीय नहीं होने से वाद वादीगण खारिज करवाने के अधिकारी है?
.... प्रतवादी संख्या 01
6. आया वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण के हक अधिकार व खातेदारी की भूमि होने के कारण जूंझारसिंह पुत्र जवाहरसिंह के द्वारा क्रय की गई है, उक्त बेचान दस्तावेज में प्रतिवादी सख्या 1 व 2 को खातेदार स्वीकार किया गया, जिससे वादीगण विबन्ध (Estopped) है, इसलिये वाद वादीगण खारिज करवाने के अधिकारी है?
.... प्रतिवादी संख्या 01
7. आया वादीगण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार लेहरों के उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी नहीं होने से वाद वादीगण खारिज योग्य हैं?
.... प्रतिवादी संख्या 01
8. अन्य दादरसी
..............उभय—पक्षकारान

9. प्रकरण में उक्त प्रकार से कार्यवाही किये जाने पर विचारण आरम्भ किया गया। प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्श अंकित किए—

दस्तावेज	संवत/विवरण	प्रदर्श
जमाबंदी	संवत 2071—2074 खाता संख्या 13 मौजा धांधलावास	प्रदर्श—01
जमाबंदी	संवत 2071—2074 खाता संख्या 14 मौजा	प्रदर्श—02

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.14 10:19:12 IST
Reason: SelfAttested

	धांधलावास	
जमाबंदी	संवत 2071—2074 खाता संख्या 10 मौजा धांधलावास	प्रदर्श—03
जमाबंदी	संवत 2071—2074 खाता संख्या 105 मौजा धांधलावास	प्रदर्श—04
जमाबंदी	संवत 2071—2074 खाता संख्या 28 मौजा धांधलावास	प्रदर्श—05
नामान्तरकरण	नामांतरकरण संख्या 3 मौजा धांधलावास	प्रदर्श—06
नामान्तरकरण	नामांतरकरण संख्या 53 ग्राम धांधलावास	प्रदर्श—07
नामान्तरकरण	नामांतरकरण संख्या 64 ग्राम धांधलावास	प्रदर्श—08
नामान्तरकरण	नामांतरकरण ग्राम धांधलावास	प्रदर्श—09
नामान्तरकरण	नामांतरकरण ग्राम धांधलावास	प्रदर्श—10
नामान्तरकरण	नामांतरकरण ग्राम धांधलावास	प्रदर्श—11
नामान्तरकरण	नामांतरकरण संख्या 377 ग्राम धांधलावास	प्रदर्श—12
नामान्तरकरण	नामांतरकरण ग्राम देवड़ो की ढाणी	प्रदर्श—13
जमाबंदी	संवत 2071—2074 खाता संख्या 45 मौजा धांधलावास	प्रदर्श—14
नामान्तरकरण	नामांतरकरण संख्या 4 ग्राम धांधलावास	प्रदर्श—15
नामान्तरकरण	नामांतरकरण संख्या 54 ग्राम धांधलावास	प्रदर्श—16
नामान्तरकरण	नामांतरकरण संख्या 101 ग्राम धांधलावास	प्रदर्श—17
नामान्तरकरण	नामांतरकरण संख्या 131 ग्राम धांधलावास	प्रदर्श—18
नामान्तरकरण	नामांतरकरण संख्या 132 ग्राम धांधलावास	प्रदर्श—19
नामान्तरकरण	नामांतरकरण संख्या 231 ग्राम धांधलावास	प्रदर्श—20
नामान्तरकरण	नामांतरकरण संख्या 92 ग्राम देवड़ो की ढाणी	प्रदर्श—21
नामान्तरकरण	नामांतरकरण संख्या 20 ग्राम देवड़ो की ढाणी	प्रदर्श—22

10. प्रकरण में वादी द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए—

नाम	जाति	निवासी	गवाह
गेनसिंह पुत्र नगसिंह	राजपुत	धांधलावास	पी0डब्ल्यू0—1
फतेहसिंह उर्फ पतसिंह पुत्र नगसिंह	राजपुत	धांधलावास	पी0डब्ल्यू0—2
दोलसिंह पुत्र भंवरसिंह	राजपुत	धांधलावास	पी0डब्ल्यू0—03

11. प्रकरण में गेनसिंह पुत्र नगसिंह पी.डब्ल्यू.—01, फतेहसिंह उर्फ पतसिंह पुत्र नगसिंह पी0डब्ल्यू0—2, दोलसिंह पुत्र भंवरसिंह पी0डब्ल्यू0—3 द्वारा हलफनामा प्रस्तुत कर समान रूप से निम्न प्रकार कथन किये—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.14 10:19:12 IST
Reason: SelfAttested

- वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 हिन्दु विधि से शासित होते है। पुर्व पुरूष स्वर्गीय अमरसिंह के वंशज है।
- कि खातेदार करणसिंह के फौत होने पर विरासत में करणसिंह के पुत्र रूपसिंह को खातेदारी प्राप्त हुई। रूपसिंह की निःसंतान फौत हो जाने से खातेदारी रूपसिंह की पत्नी मु. लेहरो का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ। तत्पश्चात लेहरों का भी निर्वसीयती फौत हो गई। लेहरो ने अपने पति का वंश चलाने के लिये कभी किसी को गोद नहीं लिया। उसके निर्वसीयती एवं निसंतान फौत होने से उसके नाम अंकित खातेदारी जौत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–8 वर्ग दो अनुसार निकटतम संबंधी नगसिंह, भैरसिंह व जवाहरसिंह में निहित हो गई। नगसिंह, भैरसिंह व जवाहरसिंह का पैतृक रकबा 142–13 बीघा व लेहरो फौत से प्राप्त रकबा 311–18 बीघा कुल रकबा 454–11 बीघा निहित हो गया।
- कि नगसिंह, भैरसिंह व जवाहरसिंह के पिता नारायणसिंह का भी देहांत हो गया। नारायणसिंह व लेहरो की फौतगी पर विरासत का नामान्तरण दर्ज करवाने हेतु भैरसिंह पुत्र नारायणसिंह द्वारा हल्का पटवारी से संपर्क कर एवं अपने दुरगामी लाभ के उद्देश्य से मु0 लेहरोदेवी की आराजी रकबा 311–18 बीघा का नामान्तरण संख्या 3 अपने पक्ष में व नगसिंह, भैरसिंह व जवाहरसिंह के पिता नारायणसिंह की आराजी रकबा 142–13 बीघा का नामान्तरण 4 अपने दोनों भाईयो नगसिंह व जवाहरसिंह के नाम स्वीकृत करवा दिया।
- कि लेहरोदेवी निसंतान एवं निर्वसीयत फौत होने व नारायणसिंह के फौत होने पर उक्त दोनो की आराजी संयुक्त रकबा 454–11 बीघा में नगसिंह, भैरसिंह व जवाहरसिंह तीनों का बहिस्सा बराबर–बराबर 151–10 बीघा नियमानुसार बनता है।
- कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हिस्से में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार 151–10 बीघा भूमि आती है। परंतु प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पिता व प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा विधिक हिस्से से अधिक आराजी का बेचान किया है। वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम खसरा संख्या 57 रकबा 27–02 बीघा व खसरा संख्या 82 रकबा 124–07 बीघा कुल रकबा 151–09 बीघा मौजा देवड़ो की ढाणी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार कुल 116–18 बीघा जमीन का बेचान किया जा चुका है।
- कि प्रतिवादी संख्या 02 का खसरा संख्या 68 में रकबा 13–16 बीघा, 131 में रकबा 13–10 बीघा, 180 में रकबा 08–14 बीघा कुल रकबा 36–00 बीघा खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार बेचान की गई भूमि 116–18 बीघा व प्रतिवादी संख्या 01 की सहखातेदारी 36–00 बीघा का योग 152–18 बीघा उनके हिस्से के समकक्ष है। देवड़ो की ढाणी का शेष बचा रकबा 151–09 बीघा वादीगण के हिस्से का है। जिस पर वादीगण अपनी खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी है एवं लेहरोदेवी की फौतगी पर अकेले भैरसिंह के पक्ष में खोला गया नामान्तरकरण संख्या 03 को वादीगण के हितो की सीमा तक निष्प्रभावी व शून्य घोषित किया जावे।
- कि इस संबंध में पैरा संख्या 09 में अंकित प्रदर्श प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.14 10:19:12 IST
Reason: SelfAttested

12. प्रकरण में गेनसिंह पुत्र नगसिंह पी.डब्ल्यू.—01 ने प्रतिवादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में रूप से अभिकथन किया कि मेरा जन्म संवत 2010 में हुआ था वर्तमान में कौनसा संवत संवत चल रहा है व मेरे को पता नहीं। सेटलमेंट कौन से संवत में हुआ था मेरे को पता नहीं। यह बात सही है कि सेटलमेंट मेरे जन्म से पहले हुआ था, बाद में कहा मेरे को पता नहीं। जो शपथ पत्र पेश किया, वो पांच या छः पेज का पेश किया है। यह बात सही है कि शपथ पत्र के पद संख्या 1 में कानूनी धारा सही है कि शपथ पत्र की धारा मेरे कहने पर वकील साहब ने लिखी है। मेरे अनपढ़ होने से मुझे धाराओं का पता नहीं है। यह बात सही है कि शपथ पत्र के पद संख्या 1 में उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा लिखी है उसकी मुझे जानकारी नहीं है। यह बात सही है कि शपथ पत्र में धारा वकील साहब ने अपने हिसाब से लिखी है। यह सही है कि शपथ पत्र मैंने तैयार करवाए है। शपथ पत्र किसा तारीख को लिखवाया यह मेरे को याद नहीं है। शपथ पत्र मैने मेरे घर पर लिखवाया था। शपथ पत्र मेरे घर पर मेरे लड़कों से लिखवाया था। शपथ पत्र मैंने मेरे भतीज अनोपसिंह से लिखवाया था। यह बात सही है कि शपथ पत्र अनोपसिंह द्वारा हाथ से लिखा गया था। अनोपसिंह के पास लिखवाया गया शपथ पत्र कम्युटर पर टाईप करवा कर कोर्ट में पेश किया गया था। शपथ पत्र मैंने किसी वकील से तस्दीक नहीं करवाया था। यह कहना सही है कि सेटलमेंट के समय करणसिंह जीवित नहीं था। यह कहना सही है कि सेटलमेंट के पूर्व रूपसिंह फौत हो चुके थे। यह कहना भी सही है कि नारायणसिंह सेटलमेंट से पहले फौत हो गया था। नारायणसिंह पहले करणसिंह फौत हो गये थे। यह कहना भी सही है कि सेटलमेंट से 20 साल पहले रूपसिंह फौत हो गया था। यह कहना सही है कि सेटलमेंट के समय जमीन पर काश्त लहरों कंवर करती थी। यह बात सही है कि सेटलमेंट के समय जो जिस जगह पर काश्त करता था। जो जमीन उसके नाम हो गई। यह बात सही है कि मैंने कितने खसरों का दावा पेश किया है वो मुझे पता नहीं। यह बात सही है कि दावें में किसी किसी खसरों का दावा पेश किया है वह मुझे अनपढ़ होने से पता नहीं है। कौन सा खसरा कितना है बीघा कहा है वो मेरे को पता नहीं। यह सही है कि मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं। दिन कौनसी दिशा से उगता है वो मुझे पता नहीं। दावा वाले खेतों के पड़ौसी खातेदारों का मुझे पता है। दावे वाले खेत के पड़ौसी खातेदारों का मुझे पता है। दावे वाले खेत के पड़ौसी खातेदारों की जाति जाट है पर नाम मुझे पता नहीं। पड़ौसी खातेदारों में मेगवाल भी रहते है। यह बात सही है कि जमीन का सेटलमेंट लेहरों कंवर के नाम से हुआ था। शपथ पत्र का भाग ए से बी सेटलमेंट करणसिंह के नाम होने की बात सही लिखवाई है। यह कहना सही है कि मैने ऐसा कोई कागज पेश नहीं किया जिसमें सेटलमेंट करणसिंह के नाम लिखा हो। यह बात सही है कि रूपसिंह लहरों कंवर से पहले फौत हो गया था। यह यह कहना सही है कि कोई व्यक्ति गोद जाने पर उसकी पिता कि संपत्ति व जमीन में हिस्सा नहीं मिलता है। यह बात सही है कि लहरों कंवर के नाम से सेटलमेंट कौन कौन से खसरे हुए थे। वह पता नहीं है। यह बात सही है कि नारायणसिंह के नाम कौन—कौन से खसरे सेटलमेंट के समय उनके नाम हुए वो मुझे पता नहीं। यह बात सही है कि गांव धांधलावास के खसरा संख्या 51, 57, 68, 82, 131, 180 कुल रकबा 311 बीघा 13 बिस्वा जमीन लेहरों कंवर पत्नी रूपसिंह के नाम से सेटलमेंट हुआ था। यह बात सही है कि सेटलमेंट लेहरों कंवर के नाम से हुआ था। शपथ पत्र का भाग सी से डी करणसिंह के नाम होने का गलत लिखवाया है। यह बात गलत है कि सेटलमेंट के समय नारायणसिंह

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.14 10:19:12 IST
Reason: SelfAttested

वह लहरों कंवर के नाम से अलग—अलग दर्ज हुई थी। यह बात सही है कि सेटलमेंट के समय नारायणसिंह व लेहरों कंवर अलग—अलग ढाणी में रहते थे। करणसिंह फौत हुआ जब उसका म्युटेशन नहीं भरा गया।

प्रश्न—इस जमीन का करणसिंह फौत होने पर नामांतरण नहीं भरने पर वर्तमान जमीन किसके नाम है?

उत्तर—भैरसिंह ने घोटाला किया। करणसिंह व रूपसिंह दोनो में से करणसिंह पहले फौत हुआ।

प्रश्न—कोई भी आदमी फौत हो जाने पर उसका फौतगी की विरासत में नामान्तरण उसके लड़कों के नाम से भरा जाता है, यह बात सही है क्या?

उत्तर—रूपसिंह के लड़का नहीं था इस कारण म्युटेशन नहीं भरा।

यह कहना सही है की मैंने दावे ऐसा कोई कागज पेश नहीं किया है कि जिसमें करणसिंह फौत होने पर रूपसिंह की पत्नी के नाम दर्ज हुई। यह कहना सही है कि मैंने दावे कोई ऐसा कागज पेश नहीं किया जिसमें दावे वाली जमीन करणसिंह के नाम दर्ज हुई हो। करणसिंह के फौत होने पर जमीन लहरों के नाम से दर्ज होने का सही लिखाया है। रूपसिंह कब फौत हुआ मुझे पता नहीं है। रूपसिंह के फौत होने के समय मेरी उम्र क्या थी मुझे पता नहीं है। लेहरों फौत हुई तब मैं दस साल का था। नारायण सिंह की फौत हुई तब में 16 वर्ष का था। मुझे इस बात का पता नहीं है कि सेटलमेंट के समय खेत का खसरा नम्बर लिखे थे। यह कहना गलत है कि लेहरो ने जमीन जागीरदारों से ली। लेहरोदेवी के दो लड़किया थी जिनकी वर्तमान में फौत हो गयी। यह कहना सही है कि शपथ पत्र में कानून की धारा वकील साहब ने लिखी है। शपथ पत्र में किस कानून की कौनसी धारा लिखी है मुझे पता नहीं है। यह कहना सही है कि लेहरो के कोई लड़का नहीं था। लेहरो ने भैरसिंह को गोद लिया यह कहना सही नहीं है। यह कहना गलत है कि संवत 2008 में आखातीज के दिन भैरसिंह को गोद लिया गया। यह कहना गलत है कि भैरसिंह को गोद लिया तब रिश्तेदारों व आस पड़ौसियों को बुलाकर रीति रिवाज से लिया गया। यह कहना गलत है कि भैरसिंह को गोद लेने के बाद भैरसिंह लहरों के साथ निवास करता था। यह कहना सही है कि संवत 2008 में मेरा जन्म नहीं हुआ था। यह कहना सही है कि मेरा संवत 2008 की बात नहीं बता सकता। माता पिता ने जो मुझे कहा जो याद है। यह कहना गलत है लेहरों के जीवनकाल में भैरसिंह के साथ लेहरो देवी निवास करती थी। यह कहना गलत है कि लेहरों कंवर के साथ भैरसिंह काश्त करता था।

पटवारी की गिरदावरी की जानकारी मुझे नहीं है। जो खेत पर काश्त करता था। यह कहना गलत है कि लेहरों कंवर की जमीन पर भैरसिंह काश्त करता था Expd-01 में भैरसिंह की लेरों की जमीन पर काश्त की हुई है तो मुझे पता नहीं। गिरदावरी की फोटोकॉपी प्रदर्श Expd-01ए है। उक्त गिरदावरी पटवारी नगर में की हो तो पता नहीं। Expd-01 में गिरदावरी संवत 2018 लिखा हुआ है तो मुझे पता नहीं, जो ए से बी है। Expd-01 में खसरा संख्या 68 व 82 लिखा हुआ है, इसका मुझे पता नहीं। Expd-01 में भाग सी से डी लेहरो देवी खातेदार होने के कारण लिखा गया है, जो सही है। Expd-01 के काश्तकार भैरसिंह लिखा हुआ होगा, जो ई से एफ है। इस फर्द में भैरसिंह की बाजरी व गवार की फसल लिखी हो सकती है। Expd-01 में पटवारी के दस्तखत व सील भाग जी से एच लिखा है, तो मुझे पता नहीं। उक्त रसीद Expd-01 जो कि मेरी जानकारी नहीं है, ये रसीद 03.10.

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.14 10:19:12 IST
Reason: SelfAttested

1961 को जारी की गई है। यह कहना गलत है कि लहरकंवर की जमीन का लगान भैरसिंह भरता है। मेरी जानकारी में नहीं है कि पुराने समय में लगान की रसीद दी जाती थी या नहीं। पुराने समय में जिसको रसीद मिलती थी, वो लगान भरता था। लहरकरंवर को जमीन की लगान नारायणसिंह ने भरी होगी। मेरे को इस जमीन के बारे में कुछ भी पता नही। मेरे को लहरकंवर की जमीन में हिस्सा चाहिए। यह कहना सही हो सकता है कि लहर कंवर की जमीन की लगान भैरसिंह ने भरी थी। भैरसिंह को रसीद मिली होगी। लगान की रसीद Expd-02 से Expd-13 जिसकी फोटोप्रतियां, Expd-2ए से Expd-13ए लागातार है। Expd-02 में काश्तकार का नाम सी से डी भैरसिंह रूपसिंह होगा। इस रसीद में भैरसिंह द्वारा खुद लगान जमा करने को लिख हुआ है, तो पता नहीं है। उक्त रसीद 1972 में जारी हो सकती है। Expd- का भाग ए से बी भैरसिंह रूपसिंह लिखा है, जो सही है या नहीं मुझे पता नहीं। Expd-03 में संवत 2022 व तारिख 11.02.1966 लिखा हुआ है। गोकुलसिंह (पटवारी)/अमीन के हस्ताक्षर है।

लगान रसीदे Expd-3ए से 13 में भैरसिंह ने लगान भरी या भैरसिंह खोले रूपसिंह लिखा है मुझे पता नहीं। लगान रसीदे Expd-3 से 13 में भैरसिंह के लगान भरने के रूप में लिखे है, तो मुझे पता नहीं। यह कहना सही है कि लेहरों कंवर 1961 में फौत हो गई थी। यह कहना सही है कि लेहरों कंवर को फौत हुए 63 वर्ष हो चुके है। लेहरों कवंर जब फौत हुई तब मैं समझदार था। सब जानता था। यह कहना गलत है कि लेहरों कंवर फौत हुई, तब म्युटेशन भैरसिंह के नाम भरा था। लेहरों कंवर के फौत होने पर म्युटेशन किसी के नाम नहीं भरा गया। शपथ पत्र का भाग ई से एफ गलत लिखाया गया है। यह कहना गलत है कि Exp-06 भैरसिंह के नाम म्युटेशन होने का पेश किया हो। Exp-06 भैरसिंह के नाम म्युटेशन होने का मैंने कोर्ट में पेश नहीं किया। Exp-06 में X व Y स्थान पर रूगा चौधरी व वार्ड पंच हीराराम के दस्तख्त हो तो मुझे पता नहीं है। यह कहना सही है कि लेहरों कंवर की फौतगी का म्युटेशन सरपंच द्वारा पास किया गया है। लेहरों कंवर के फौत होने पर भैरसिंह द्वारा अपने नाम का म्युटेशन भरने का प्रार्थना पत्र दिया हो तो मुझे पता नहीं है। भैरसिंह द्वारा दी गई म्युटेशन प्रार्थना पत्र पर डिप्टी कलक्टर बाड़मेर (जागीर) द्वारा आपत्ति हेतु नोटिस जारी किया गया हो तो मुझे पता नहीं। लेहरों कंवर की फौतगी का म्युटेशन भैरसिंह के नाम भरने हेतु डिप्टी कलक्टर (जागीर) बाड़मेर द्वारा दिया गया हो तो मुझे पता नहीं है। यह कहना गलत है कि डिप्टी कलक्टर (जागीर) बाड़मेर द्वारा भैरसिंह के नाम म्यूटेशन भरने से पहले सभी पक्षों के उर्ज–एजराज सुने हो। भैरसिंह के नाम से डिप्टी कलक्टर (जागीर) बाड़मेर द्वारा म्यूटेशन की कार्यवाही का मेरे या मेरे पिता या मेरे दादा नारायणसिंह द्वारा कोई उज्र एतराज किया गया हो तो मुझे पता नहीं। डिप्टी कलक्टर (जागीर) बाड़मेर द्वारा म्युटेशन की कार्यवाही के दौरान हमारे द्वारा आपत्ति की गई, उसका कोर्ट कागज फाईल में पेश नहीं किया है। डिप्टी कलक्टर(जागीर) बाड़मेर द्वारा भैरसिंह के नाम से भरे गये म्युटेशन की अपील हमारे द्वारा किसी न्यायालय में नहीं की गई है। मुझे इस बारे में पता नहीं है कि पुराने जमाने में लोग गोदनामे की लिखा पढ़ी करवाते हो। पुराने जमाने में भैरसिंह नारायणसिंह लेहरों कंवर की बीच भाईचारा होने के कारण गोदनामे की लिखा पढ़ी नहीं करवाई हो तो मुझे पता नहीं। नगजी अनपढ़ थें। मेरी शादी कब हुई मुझे याद नहीं। मेरी शादी हुई तब भैरसिंह बारात में नहीं गये थे। वो फौत हो गए थे। मैंने 454 बीघा का दावा पेश

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.14 10:19:12 IST
Reason: SelfAttested

नहीं किया, मैंने 311 बीघा 18 बिस्वा का दावा पेश किया है। यह कहना गलत है कि मैंने तीसरे हिस्से में 151 बीघा जमीन लेने का दावा पेश किया हो। यह जमीन केसरसिंह व जोगसिंह की होने के कारण जुंझारसिंह तथा जवाहरसिंह हमारे पक्ष में गवाही देने आते हैं। नारायणसिंह फौत होने पर म्युटेशन तीनों भाईयों नगसिंह, भैरसिंह व जवाहरसिंह के नाम भरा गया। यह कहना गलत है कि नारायणसिंह के फौत होने पर म्युटेशन नगसिंह व जवाहरसिंह के नाम भरा गया हो। प्रदर्शपी—15 के भाग ए से बी में नगसिंह व जवाहरसिंह के नाम से म्युटेशन नहीं भरा गया है। प्रदर्श 15 पर राधा चौधरी (एक्स स्थान) व वाई स्थान पर हीरा वार्डपंच के दस्तख्त किये गये हो तो मुझे पता नहीं। यह कहना गलत है कि प्रदर्श—15 सरपंच द्वारा नगसिंह व जवाहरसिंह दोनो के नाम से म्युटेशन भैरसिंह के नाम से ग्राम पंचायत की मीटिंग में सब की मौजूदगी में भरा गया हो तो मुझे पता नहीं। यह कहना गलत है कि भैरसिंह के नाम से म्यूटेशन भरने पर नगसिंह ने गवाही दी हो। इस पर नगसिंह के साईन किये हुए नहीं है। यह कहना हसी है कि भैरसिंह के नाम से लेहरोंदेंवी की जमीन का म्युटेशन भरने की अपील नहीं की गई है। अज खुद कहा यदि की गई है तो मुझे पता नहीं। भैरसिंह के नाम से म्यूटेशन भरने का आज दिन तक कोई उज्र एतराज नहीं किया गया मुझे पता नहीं। यह कहना गलत है कि नगसिंह व जवाहरसिंह ने भैरसिंह के नाम से भरे गये म्यूटेशन के पक्ष में बयान किये हो। यह कहना सही है कि सेटलमेंट के समय लेहरो कंवर विधवा थी। लेहरों कंवर के फौत होने पर उसका अंतिम क्रियाकर्म भैरसिंह ने किया हो तो मुझे पता नहीं। यह कहना गलत है कि भैरसिंह को लेहरों कंवर ने गोद लिया, उसमें मेंरे पिता नारायणसिंह की सहमति थी। यह कहना गलत है कि भैरसिंह लेहरों कंवर के गोद जाने के कारण उसका नाम नारायणसिंह की जमीन में पड़ा हो। यह कहना गलत है कि आज के समय में नारायणसिंह की जमीन में भैंरसिंह का नाम नहीं हो। नारायणसिंह के फौत होने पर भरे गये म्यूटेशन की आज दिन तक हमने अपील नहीं की है। नारायणसिंह का फौतगी का म्युटेशन सही है या गलत है मुझे पता नहीं। जवाहरसिंह ने इस जमीन पर केसीसी उठाई है तो मुझे पता नहीं। नगसिंह व जवाहरसिंह में जवाहरसिंह पहले फौत हुआ। नगसिंह के फौत होने पर मैंने मेरे नाम से म्यूटेशन भराया हो तो मुझे पता नहीं। हम पांच भाई हैं। हमारे कोई बहन नहीं है। नगसिंह फौत होने पर हमारे नाम से म्यूटेशन भराया, तब नारायणसिंह की जमीन नगसिंह व जवाहरसिंह के नाम से थी, तो मुझे पता नहीं। नगसिंह के फौतगी का म्युटेशन हमने राजीखुशी भराया। काना पुत्र जेहा को भैरसिंह ने खसरा संख्या 82 में 26 बीघा जमीन का बेचान किया गया तो मुझे पता नहीं। काना ने जमीन खरीदकर अपने नाम से म्युटेशन करवाकर जमीन अलग करवा ली हो। इसका कागज मैंने पेश नहीं किया है। प्रदर्शपी—7 में भैरसिंह खोले रूपसिंह लिखा हुआ है तो मुझे पता नहीं। काना ने 1974 में खरीदी गई जमीन पर आज भी काना के परिवार का कब्जा व ढाणिया हो तो मुझे पता नहीं। यह कहना सही है कि काना ने जो जमीन खरीदी है उसको खारिज करवाने के लिये मैंने कोई दावा पेश नहीं किया है। इस जमीन भैरसिंह ने गुप्त में बेची थी। इसका हमनें पता नहीं चला। यह कहना सही है कि भैरसिंह ने खसरा संख्या 51 की जमीन चैनसिंह को बेचान की।

चैनसिंह को जमीन भैरसिंह ने बेची, यह कहना सही है। यह कहना सही है कि इस बेची गई जमीन का आज दिन तक उज्र एतराज नहीं किया। यह कहना गलत

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.14 10:19:12 IST
Reason: SelfAttested

है कि मेरे पिता नगसिंह ने जमीन की केसीसी करवाई हो। यह कहना गलत है कि जमीन की कीमत बढ़ने के कारण मैंने झूठा दावा किया हो।

13. प्रकरण में गेनसिंह पुत्र नगसिंह के प्रतिपरीक्षण के अवलोकन से ज्ञात होता है कि गवाह ने यह स्वीकार किया है कि बंदोबस्त रूपसिंह के नाम से नहीं होकर लेहरो देवी के नाम से हुआ है। अर्थात्त वक्त बंदोबस्त लेहरो देवी के नाम से ही खतौनी बंदोबस्त तैयार किया गया। जबकि प्रकरण में वादी का अभिकथन रहा है कि वक्त बंदोबस्त आराजी रूपसिंह के नाम दर्ज की गई। साथ ही गवाह ने प्रतिपरीक्षण में अभिकथन किया है कि भैरसिंह ने गलत तरीके से लेहरो की जमीन अपने नाम दर्ज करवाई। साथ ही यह भी स्वीकार किया है कि लेहरोदेवी व नारायणसिंह का घर अलग—अलग थे एवं अलग—अलग खेती करते थे। अर्थात्त लेहरो की आराजी अलग थी एवं नारायणसिंह व वादी की आराजी अलग थी। साथ ही यह भी अभिकथन किया है कि लेहरोदेवी की आराजी की लगान भैरसिंह के द्वारा भरे जाने तथा लेहरोदेवी की आराजी की खसरा गिरदावरी भैरसिंह के नाम होने के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। साथ ही लेहरोदेवी की आराजी की लगान स्वयं के द्वारा भरे जाने तथा लेहरोदेवी की आराजी की खसरा गिरदावरी स्वयं के नाम दर्ज होने के बारे में कोई अभिकथन नहीं किया है। अर्थात्त गवाह उक्त तथ्य का स्पष्ट खण्डन करने में असफल रहा है। जिससे यह निष्कर्ष सामने आता है कि लेहरोदेवी की आराजी का लगान भैरसिंह ने भरा तथा मौके पर खेती भी भैरसिंह के द्वारा की जाती रही है।

14. प्रकरण में दोलसिंह पुत्र भंवरसिंह पी0डब्ल्यू0—3 प्रतिवादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में रूप से अभिकथन किया कि यह कहना गलत है कि यह शपथपत्र वकील साहब ने लिखा है अर्ज खुद कहा कि मैंने खुद पेश किया है। इस शपथपत्र में 6—7 पेज का है। शपथ पत्र कौनसी दिनांक को लिखाया मुझे याद नहीं है, 12 महीने हो गए। शपथपत्र लिखाने के तीन—चार दिन बाद न्यायालय में पेश किया था। सेटलमेंट किस वर्ष हुआ था मुझे याद नही है। शपथ पत्र में लिखी गई जो धाराएं ए से बी वकील साहब ने लिखी है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम क्या है मुझे जानकारी नहीं है। शपथ पत्र मैंने ई—मित्र से लिखवाया है। ईमित्र की दुकान गुड़ामालानी में है, जहा से लिखवाया। सेटलमेंट के समय करणसिंह एवं रूपसिंह फौत हो गए हो मुझे याद नहीं है। क्योंकि उस समय मेरा जन्म नही हुआ था। <u>यह कहना सही है कि सेटलमेंट के समय जमीन पर काश्त लेहरो देवी के करने के कारण जमीन लेहरो देवी के नाम दर्ज हुई थी।</u> अर्ज खुद कहा कि सेटलमेंट के समय रूपसिंह के नाम जमीन हुई हो। मैने किस खेत का दावा किया है मुझे खसरा नं. याद नही है। वादग्रस्त आराजी के सेढ़ा पड़ौसी मुझे याद है। उत्तर दिशा में राणसिंह व प्रभुराम भानाराम का खेत है। दक्षिण दिशा में कानाराम जोगाराम बलयारा है। पूर्व दिशा में गोकला सारण एवं पश्चिम दिशा में रामाराम मेघवाल का खेत है। सेटलमेंट रूपसिंह के नाम होने का मैंने कोई दस्तावेज पेश किया हो जो मुझे याद नही है। रूपसिंह व लेहरोकंवर में से रूपसिंह पहले फौत हुए थे। सेटलमेंट के समय नारायणसिंह व लेहरोकवंर के नाम अलग—अलग जमीन नामे हुई हो मुझे याद नहीं। सेटलमेंट के समय नारायणसिंह व लेहरोकवंर अलग—अलग ढाणी में रहते हो मुझे ध्यान नहीं। <u>रूपसिंह व लेहरोकंवर ने भैरसिंह को खोले लेने का मौखिक रीति से करवाया हो कागज नही लिखाया हो मुझे पता</u>

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.14 10:19:12 IST
Reason: SelfAttested

नही है। यह कहना सही है कि इस जमीन में से कुछ जमीन कम्पनी ओएनजीसी के नाम अवाप्त हो रखी है। अवाप्त हुई जमीन का मुआवजा हमारे को नही मिला था। केसरसिंह व जोगसिंह को मिला था। उस समय मुआवजे को लेकर अवाप्ति कार्यवाही में कोई उज्र ऐतराज नही किया था। यह कहना सही है कि नारायणसिंह के फौत होने पर नगसिंह व जवाहरसिंह के नाम का म्युटेशन भरवाया गया। उसके बाद नगसिंह फौत हुए तब भंवरसिंह व अन्य के नाम व भंवरसिंह फौत हुए, तब मेरे नाम से म्युटेशन भरवाए गए। उक्त समस्त म्युटेशन कार्यवाही में हमने कोई ऐतराज नही किया। उक्त म्युटेशन हमारी जानकारी में भरे गए है। भैरसिंह खोले जाने के बाद लेहरोकंवर के साथ काश्त करता था तो मेरे को पता नहीं। भैरसिंह ने जमीन की लगान विगोटी भरी हो तो मुझे पता नहीं। नारायणसिंह की फौतगी का म्युटेशन भरा गया वो सही भरा गया है। खसरा न. 82 व 26 की जमीन भैरसिंह ने काना वल्द मैहाराम को बेची थी। जिस पर कब्जा काना के परिवार का है। उक्त जमीन बेची जिसका मैने आज दिन तक ऐतराज नही किया। जुंजारसिंह ने भी दावे वाली जमीन जोगसिंह से खरीदी गई थी। भैरसिंह के नाम का म्युटेशन डिप्टी कलेक्टर जागीर बाड़मेर के आदेश से भरा हो मुझे पता नही। पुराने समय में गोद के समय में लिखावट नही करते थे, रीति रिवाज से गोद लेते थे, अर्ज खुद कहा कि गोद लिया हुआ नही था। भैरसिंह ने चैनसिंह को जमीन बेची थी, उसके बारे में हमने उज्र ऐतराज नही किया। भैरसिंह के परिवार ने जो जमीन बेची उसकी जानकारी हमे है। **यह कहना सही है कि वो जमीन केसरसिंह व जोगसिंह के नाम दर्ज है उस पर काश्त वही करते है।** यह कहना गलत है कि जमीनों की कीमतों में बढ़ोतरी होने के कारण हमने यह झूठा दावा पेश किया हो।

15. प्रकरण में दौलसिंह पुत्र भंवरसिंह के प्रतिपरीक्षण के अवलोकन से ज्ञात होता है कि गवाह ने यह स्वीकार किया है कि बंदोबस्त रूपसिंह के नाम से नहीं होकर लेहरो देवी के नाम से हुआ है। अर्थात्त वक्त बंदोबस्त लेहरो देवी के नाम से ही खतौनी बंदोबस्त तैयार किया गया। जबकि प्रकरण में वादी का अभिकथन रहा है कि वक्त बंदोबस्त आराजी रूपसिंह के नाम दर्ज की गई। साथ ही यह भी स्वीकार किया है कि लेहरोदेवी व नारायणसिंह का घर अलग—अलग थे एवं अलग—अलग खेती करते थे। अर्थात्त लेहरो की आराजी अलग थी एवं नारायणसिंह व वादी की आराजी अलग थी। साथ ही गवाह द्वारा यह भी अभिकथन किया है कि लेहरोदेवी द्वारा भैरसिंह को गोद लिये जाने तथा गोद के पश्चात् भैरसिंह के लेहरोदेवी के साथ निवास करने के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। गवाह के उक्त अभिकथन पर विश्वास करना थोड़ा व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि भैरसिंह, नगसिंह व जवाहरसिंह आपस में सगे भाई हैं। अगर भैरसिंह को लेहरोदेवी द्वारा गोद नहीं लिया गया तो निश्चित रूप से भैरसिंह अपने भाईयों के साथ निवास करता रहा होगा और अगर भैरसिंह को लेहरोदेवी द्वारा गोद लिया गया हो तो निश्चित रूप से भैरसिंह लेहरोदेवी के साथ निवास करता रहा होगा। इस बात की जानकारी नहीं होना अपने आप में संदेह पैदा करता है कि भैरसिंह के सगे भाईयों को यह पता नहीं है कि भैरसिंह किसके साथ निवास करता था।

16. साथ ही गवाह द्वारा यह भी अभिकथन किया है कि लेहरोदेवी द्वारा भैरसिंह को गोद लिये जाने के पश्चात् भैरसिंह के लेहरोदेवी के साथ लेहरोदेवी की आराजी पर काश्त करने के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। गवाह के उक्त अभिकथन पर भी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.14 10:19:12 IST
Reason: SelfAttested

विश्वास करना थोड़ा व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि भैरसिंह, नगसिंह व जवाहरसिंह आपस में सगे भाई हैं। अगर भैरसिंह को लेहरोदेवी द्वारा गोद नहीं लिया गया तो निश्चित रूप से भैरसिंह अपने भाईयों के साथ निवास व नारायणसिंह की आराजी पर काश्त करता रहा होगा और अगर भैरसिंह को लेहरोदेवी द्वारा गोद लिया गया हो तो निश्चित रूप से भैरसिंह लेहरोदेवी के साथ निवास व लेहरोदेवी की आराजी पर काश्त करता रहा होगा। इस बात की जानकारी नहीं होना अपने आप में संदेह पैदा करता है कि भैरसिंह के सगे भाईयों को यह पता नहीं है कि भैरसिंह किस आराजी पर काश्त करता था। अंत में गवाह स्वीकार करता है कि हाल राजस्व रिकॉर्ड में केसरसिंह व जोगसिंह के नाम दर्ज आराजी पर केसरसिंह व जोगसिंह ही काश्त करते हैं। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड में लेहरोदेवी की सम्पत्ति केसरसिंह व जोगसिंह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त लेहरोदेवी की सम्पत्ति पर केसरसिंह व जोगसिंह की कब्जा काश्त होना स्वीकार किया गया है।

17. प्रकरण में वादी साक्ष्य के पश्चात् पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में नियत की गई। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्श अंकित करवाए गए।

दस्तावेज	संवत/विवरण	प्रदर्श
गिरदावरी	गिरदावरी संवत 2018 की फोटोप्रति	प्रदर्शडी 1ए
रसीद	रसीद दिनांक 1972 की फोटोप्रति	प्रदर्शडी 2ए
रसीद	रसीद दिनांक 11.02.1966 की फोटोप्रति	प्रदर्शडी 3ए
रसीद	रसीद दिनांक 19.02.1972 की फोटोप्रति	प्रदर्शडी 4ए
रसीद	रसीद दिनांक 19.01.1978 की फोटोप्रति	प्रदर्शडी 5ए
रसीद	रसीद दिनांक 19.01.1968 की फोटोप्रति	प्रदर्शडी 6ए
रसीद	रसीद संख्या 036203 पृष्ठ संख्या 000001 की फोटोप्रति	प्रदर्शडी 7ए
रसीद	रसीद दिनांक 11.02.1966 की फोटोप्रति	प्रदर्शडी 8ए
रसीद	रसीद दिनांक 15.01.1965 की फोटोप्रति	प्रदर्शडी 9ए
रसीद	रसीद दिनांक 15.01.1965 की फोटोप्रति	प्रदर्शडी 10ए
रसीद	रसीद संख्या 12176 की फोटोप्रति	प्रदर्शडी 11ए
रसीद	रसीद दिनांक 15.01.1971 की फोटोप्रति	प्रदर्शडी 12ए
रसीद	रसीद दिनांक 06.08.1961 की फोटोप्रति	प्रदर्शडी 13ए
रसीद	रसीद संवत 2019 की फोटोप्रति	प्रदर्शडी 14ए
नोटिस	उप जिलाधीश (जागीर) बाड़मेर के नोटिस संख्या 2561 की फोटोप्रति	प्रदर्शडी 15ए

18. प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए–

नाम	जाति	निवासी	गवाह
केशरसिंह पुत्र भैरसिंह	राजपुत	धांधलावास	डी0डब्ल्यू0–01

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.14 10:19:12 IST
Reason: SelfAttested

जोगाराम पुत्र हकमाराम	जाट	रतनासर	डी0डब्ल्यू0—02
भूराराम पुत्र चोलाराम	जाट	रतनासर	डी0डब्ल्यू0—03

19. प्रकरण में केशरसिंह पुत्र भैरसिंह डी0डब्ल्यू0—01, जोगाराम पुत्र हकमाराम डी0डब्ल्यू0—3, भूराराम पुत्र चोलाराम डी0 डब्ल्यू—03 द्वारा हलफनामा प्रस्तुत कर समान रूप से निम्न प्रकार कथन किये—

- कि वादीगण द्वारा वाद में बताया गया सजरा गलत है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पिता भेरसिंह की गोद माता लेहरो बेवा रूपसिंह के खुदकाश्त की भूमि खसरा संख्या 54, 56, 68, 82, 131, 180 मौजा धांधलावास तहसील गुड़ामालानी की आई हुई थी। उक्त आराजी लेहरों बेवा रूपसिंह की खुदकाश्त आराजी होने से वक्त बंदोबस्त लेहरो की खातेदारी में दर्ज होने से लेहरो की स्वअर्जित संपत्ति थी।
- कि स्व0 लेहरों अपने जीवनकाल में उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पिता भैरसिंह की सहायता से काश्त करती थी। लेहरों के पति रूपसिंह का देहान्त हो जाने से लेहरों व रूपसिंह के कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। लेहरों ने अपने पति रूपसिंह का वंश चलाने के लिए प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पिता भैरसिंह को सामाजिक रीति रिवाजो, रूढ़ि प्रथाओं के अनुसार गोद लिया। तत्पश्चात लेहरों के फौत होने पर फौतगी का नामान्तरण गोदपुत्र प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पिता भैरसिंह के नाम से भरा गया। तत्कालीन समय वादीगण के वालिदान उपस्थित होकर अपनी राजीखुशी से सहमति प्रदान करते हुए रीति रिवाज का अनुसरण किया। लेहरों एक महिला होने के कारण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—14 के प्रावधान लागू होते है। हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम—156 की धारा—8 के अनुसार वादीगण लेहरो के उत्तराधिकारी नहीं हो सकते हे।
- कि लेहरो बेवा रूपसिंह का देहान्त हो जाने पर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पिता भैरसिंह ने लेहरों का उत्तराधिकारी होने के कारण उप जिलाधीश (जागीर) बाड़मेर के समक्ष आवेदन पेश किया गया। जिस पर उप जिलाधीश (जागीर) बाड़मेर ने आपत्ति हेतु सूचना/नोटिस जारी किया गया। जिस पर वादीगण के वालिदान साथ में रहकर सहमति प्रदान करते हुए प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पिता भैरसिंह के नाम नामान्तरण संख्या 03 दर्ज करवाया गया।
- कि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पिता भैरसिंह, लेहरो बेवा रूपसिंह के गोद चले जाने के कारण लेहरों बेवा रूपसिंह से हक प्राप्त कर लिया गया। नारायणसिंह के फौत हो जाने से वादीगण के वालिदान केवल नगसिंह व जवाहरसिंह का नामान्तरण संख्या 04 दर्ज करवाया गया। इसमें भैरसिंह, लेहरों बेवा रूपसिंह के गोद जाने से वादीगण के वालिदा द्वारा कोई उजर एतराज नहीं किया गया एवं नगसिंह व जवाहरसिंह के द्वारा अपने उक्त हिस्से पर ऋण भी प्राप्त किया। नगसिंह व जवाहरसिंह के फौतगी का नामान्तरण भी वादीगण ने अपने नाम करवाया। उस समय वादीगण द्वारा कोई उजर एतराज नहीं किया। वर्तमान में कैयर्न, वेदान्ता इत्यादि गैस व तेल कम्पनिया आ जाने के कारण वादीगण के मन में लालच आ गया। इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.14 10:19:12 IST
Reason: SelfAttested

कारण प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की भूमि हड़पने की नियत से दावा पेश किया गया।

- कि लेहरो बेवा रूपसिंह के खुदकाश्त की भूमि ग्राम धांधलावास तहसील गुड़ामालानी के खसरा संख्या 54, 56, 68, 82, 131, 180 में वादीगण का किसी प्रकार का हक हिस्सा व अधिकार नहीं है। भैरसिंह ने अपने जीवनकाल में खसरा संख्या 51 व 82 में अपना हक व अधिकार होने से आंशिक रकबा का बेचान किया। जिस पर क्रेता काबिज हो गया है। उक्त बेचान को वादीगण के वालिदान द्वारा स्वीकार किया एवं तत्समय कोई उजर एतराज नहीं किया गया। खसरा संख्या 68 व 131 में से क्रेता वादी संख्या 06 ने प्रतिफल प्राप्त कर भूमि क्रय की गई। खसरा संख्या 180 की भूमि न्यायालय भूमि अवाप्ति अधिकारी, बाड़मे के आदेश से ओ.एन.जी.सी. एल. के नाम अवाप्त हुई। भूमि आवाप्त करते समय न्यायालय द्वारा आपत्ति आमंत्रित की गई। उसके बाद अवाप्ति का एवार्ड जारी कर एवार्ड की राशि प्रतिवादी पक्ष भैरसिंह के वारिसान को दी गई। जिसका कभी वादीगण के द्वारा चुनौती नहीं दी गई।
- कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 57 व 82 मौजा देवड़ो की ढाणी तहसील गुड़ामालानी पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है। वादीगण का कब्जा काश्त नहीं रहा है न ही वादीगण के पूर्वजों द्वारा उक्त आराजी पर काश्त की है। वादीगण के द्वारा कब्जा की मांग किये बिना वादी का वाद पोषणीण नहीं है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से कब्जा प्राप्त करने की समयावधि निकल चुकी है इस प्रकार वादी का वाद म्याद बाहर है।
- कि वादीगण के पूर्वजों को लेहरो बेवा रूपसिंह के भैरसिंह गोद जाने की जानकारी शुरू से थी। उसके बाद नारायणसिंह की फौतगी में वादीगण के पूर्वजो ने अपने नाम से नामान्तरण दर्ज करवाया। भैरसिंह को वादीगण के वालिद जवाहरसिंह व नगसिंह की उपस्थिति व रजामंदी से गोद लिया गया था। गोद से संबंधित विवाद का बिन्दु तय करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है। उक्त आधारों पर वादी का दावा पोषणीय नहीं होने से काबिल—ए—खारिज है।
- इस बाबत् पैरा संख्या 14 में अंकित प्रदर्श प्रस्तुत किये गये हैं।

20. प्रकरण में प्रतिवादी गवाह केशरसिंह पुत्र भैरसिंह डी0डब्ल्यू0—01, जोगाराम पुत्र हकमाराम डी0डब्ल्यू0—3, भूराराम पुत्र चोलाराम डी0 डब्ल्यू—03 को प्रतिवादी अधिवक्ता ने उपस्थित न्यायालय किये। वादी अधिवक्ता द्वारा न्यायालय समय में प्रतिवादी साक्ष्य से जिरह नहीं करने पर वादी अधिवक्ता की जिरह शुन्य कर पत्रावली बहस में नियत की गई।

21. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा अपने दावे के तथ्यों को दौहराते हुए दावा डिक्री करने का निवेदन किया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा बहस करते हुए दावा खारिज करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.14 10:19:12 IST
Reason: SelfAttested

22. मैनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अब प्रकरण का तनकीवार विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में सर्वप्रथम तनकी संख्या 02 एवं 07 के संबंध में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 02 एवं 07 निम्न प्रकार हैः—

2. आया आया ग्राम धांधलावास का मुस्मात लेहरों की फौतगी पर अकेले भैरसिंह के पक्ष में खोला गया विरासत का नामान्तकरण संख्या 03 वादीगण के हितों की सीमा तक शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित करवाने की अधिकारी है?

.................वादीगण

7. आया वादीगण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार लेहरों के उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी नहीं होने से वाद वादीगण खारिज योग्य हैं?

.... प्रतिवादी संख्या 01

23. प्रकरण में तनकी संख्या 02 को साबित करने का भार वादी तथा तनकी संख्या 07 को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 01 पर है। उक्त तनकीयात के तहत मुख्य विवाद का बिन्दु यह है कि लेहरो देवी का गोदपुत्र भैरसिंह है अथवा नहीं। इस विवाद बिन्दु से ही यह निर्धारित होना अपेक्षित है कि लेहरो देवी की सम्पत्ति का असल वारिस कौन है? जहां एक तरफ वादी का अभिकथन है कि लेहरो देवी ने भैरसिंह को गोद नहीं लिया था। इस कारण लेहरो देवी की विरासत हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम—1956 के तहत द्वितीय श्रेणी के वारिस वादीगण के पक्ष में दर्ज की जावे। जबकि इसके विपरीत प्रतिवादी का अभिकथन है कि लेहरो देवी ने भैरसिंह को गोदपुत्र ग्रहण किया था। इस कारण लेहरो देवी की विरासत हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम—1956 के तहत प्रथम श्रेणी के वारिस गोदपुत्र भैरसिंह के वारिसान के पक्ष में सही दर्ज की गई है। इस प्रकार प्रकरण में यह देखा जाना है कि भैरसिंह, लेहरोदेवी का गोदपुत्र है अथवा नहीं।

24. प्रकरण में उक्त तनकी विश्लेषण से पूर्व गोद के संबंध में विधिक प्रावधान को समझना प्रासांगिक प्रतीत होता है। इस श्रृंखला में पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रकरण हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम—1956 से संबंधित है। प्रकरण का अग्रिम विश्लेषण करने से पूर्व हिन्दू विधि के तहत दत्तक/गोद के संबंध में कानूनी स्थिति को समझना उचित प्रतीत होता है। इस संबंध में दत्तक/गोद पर हिन्दू विधि को एक समेकित रूप देते हुए भारतीय संसद ने हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम—1956 अधिनियमित किया है। उक्त हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम—1956 के अधिनियमित होने के पश्चात दत्तक/गोद के संबंध में नई विधि के अनुसार ही कार्यकरण विधिसंगत माना गया है। इस कारण हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम—1956 के संबंध में दत्तक/गोद की संकल्पना एवं कानूनी स्थिति को समझना आवश्यक है।

25. उक्त हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम—1956 की धारा—04 तथा न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.14 10:19:12 IST
Reason: SelfAttested

- *हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम—1956 में किये गए प्रावधानों की सीमा तक पुरानी हिन्दू विधि के प्रावधान प्रभाव में नहीं रहने का अधिभावी प्रावधान बनाए गए है।*
- *अर्थात् हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम—1956 में बनाए गए प्रावधानों से असंगत पुरानी हिन्दू विधि के प्रावधान अब प्रभाव में नहीं है।*

26. प्रकरण में अब उक्त हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम—1956 की धारा—05 तथा न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि

- *हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम—1956 के प्रभाव में आने के पश्चात कोई भी गोद केवल हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम—1956 से असुसंगत होने पर अवैध होगा।*
- *इस प्रकार किसी व्यक्ति का परिवार द्वारा पालन—पोषण करना मात्र ही गोद ग्रहण नहीं है। किसी व्यक्ति के गोद ग्रहण के संबंध में हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम—1956 के प्रावधानों की पालना आवश्यक है।*

27. प्रकरण में अब उक्त हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम—1956 की धारा—07 तथा न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि

- *हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम—1956 की धारा—07 के तहत बालिग एवं स्वस्थ मस्तिष्क वाला हिन्दू पुरूष गोद ग्रहण कर सकता है।*
- *साथ ही अगर उस हिन्दू पुरूष के जीवित पत्नि है तो गोद ग्रहण हेतु उस पत्नि या समस्त पत्नियों की स्पष्ट सहमति आवश्यक है।*
- *कोई हिन्दू विधवा अपने पुनर्विवाह से पूर्व गोद ग्रहण कर सकती है तथा उस हिन्दू विधवा के अपने पुनर्विवाह से पूर्व गोद ग्रहण किए गए व्यक्ति के हिन्दू विधवा के पुनर्विवाह के कारण उस हिन्दू विधवा से संबंध में कोई अंतर नहीं आता है।*
- *कोई हिन्दू विधवा अपने पुनर्विवाह के पश्चात अपने पुनर्विवाह से पूर्व उत्पन्न संतान को गोद में देने की अधिकारिता नहीं रखती है।*
- *गोद ग्रहण हेतु अपनी अधिकारिता प्रत्यायोजित की जा सकती है। इस प्रकार गोद ग्रहण हेतु प्रत्यायोजित अधिकारिता से किया गया गोद कार्यक्रम वैद्य होता है।*

28. प्रकरण में अब उक्त हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम—1956 की धारा—08 तथा न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि

- *हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम—1956 की धारा—08 के तहत बालिग एवं स्वस्थ मस्तिष्क वाली हिन्दू महिला गोद ग्रहण कर सकती है।*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.14 10:19:12 IST
Reason: SelfAttested

- *साथ ही अगर उस हिन्दू महिला के जीवित पति है तो गोद ग्रहण हेतु उस पति की स्पष्ट सहमति आवश्यक है।*

29. प्रकरण में अब उक्त हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम–1956 की धारा–09 तथा न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि

    - *हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम–1956 की धारा–09 के तहत केवल जैविक माता व पिता या संरक्षक ही गोद प्रदान कर सकता है।*
    - *कोई हिन्दू विधवा अपने पुनर्विवाह के पश्चात अपने पुनर्विवाह से पूर्व उत्पन्न संतान को गोद में देने की अधिकारिता नहीं रखती है।*
    - *कोई हिन्दू पुरूष अपने पुनर्विवाह के पश्चात अपने पुनर्विवाह से पूर्व उत्पन्न संतान को गोद में देने की अधिकारिता रखता है। क्योंकि हिन्दू पुरूष अपने पुनर्विवाह के पश्चात अपने पुनर्विवाह से पूर्व उत्पन्न संतान का आजीवन पिता की भूमिका में रहता है।*
    - *गोद ग्रहण हेतु अपनी अधिकारिता प्रत्यायोजित की जा सकती है। इस प्रकार गोद ग्रहण हेतु प्रत्यायोजित अधिकारिता से किया गया गोद कार्यक्रम वैद्य होता है।*

30. प्रकरण में अब उक्त हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम–1956 की धारा–10 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि

    - *हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम–1956 की धारा–10 के तहत गोद लिया जाने वाला व्यक्ति हिन्दू ही होना अपेक्षित है।*
    - *गोद लिए जाने वाला व्यक्ति पूर्व में गोद नहीं लिया गया होना अपेक्षित है।*
    - *गोद लिए जाने वाला व्यक्ति, जब तक कि संबंधित पक्षकारों के रीति रिवाजो के द्वारा शादीशुदा व्यक्ति को गोद लिए जाने के संबंध में अनुमति हो, अविवाहित व्यक्ति होना अपेक्षित है।*
    - *गोद लिए जाने वाला व्यक्ति, जब तक कि संबंधित पक्षकारों के रीति रिवाजो के द्वारा 15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को गोद लिए जाने के संबंध में अनुमति हो, 15 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति होना अपेक्षित है।*

31. प्रकरण में अब उक्त हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम–1956 की धारा–10 के अंतर्गत न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कानूनी रूप से अनुमत रीति रिवाज एवं उपयोग के बारे में विधिक स्थिति स्पष्ट होती है जिसके महत्वूपर्ण अवयव एवं बिन्दु निम्न प्रकार है–

    1. *किसी समुदाय के रीति रिवाज का पहला महत्वपूर्ण व अनिवार्य अवयव है कि वह रीति रिवाज लंबे समय से समुदाय के द्वारा उपयोग में लिये जा रहे हो तथा ऐसा उपयोग बिना अपवाद के किया जा रहा हो।*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.14 10:19:12 IST
Reason: SelfAttested

2. *किसी समुदाय के रीति रिवाज का दुसरा महत्वपूर्ण व अनिवार्य अवयव है कि वह रीति रिवाज अनवरत रूप से समुदाय के द्वारा उपयोग में लिये जा रहे हो।*
3. *किसी समुदाय के रीति रिवाज का तीसरा महत्वपूर्ण व अनिवार्य अवयव है कि वह रीति रिवाज निश्चित रूप से समुदाय के द्वारा उपयोग में लिये जा रहे हो।*
4. *किसी समुदाय के रीति रिवाज का अगला महत्वपूर्ण व अनिवार्य अवयव है कि वह रीति रिवाज तार्किक एवं सार्वजनिक नीति से सुसंगत हो।*
5. *किसी समुदाय के द्वारा लंबे समय से, अनवरत रूप से तथा निश्चित रूप से उपयोग में लाए जा रहे रीति रिवाज को उस समुदाय द्वारा एक तरह से कानूनी एवं नियमों रूप प्रदान कर दिया गया हो।*
6. *किसी समुदाय के द्वारा लंबे समय से, अनवरत रूप से तथा निश्चित रूप से उपयोग में लाए जा रहे रीति रिवाज के विरूद्ध जाकर किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कार्य एक तरह से उस समुदाय के द्वारा तीव्र विरोध को जन्म देने वाला या वह संबंधित कार्य को समुदाय द्वारा अमान्यता प्रदान की गई हो।*
7. *अगर किसी समुदाय के द्वारा लंबे समय से, अनवरत रूप से तथा निश्चित रूप से उपयोग में लाए जा रहे रीति रिवाज को उस क्षेत्र के न्यायालयों द्वारा पहचान प्रदान करने की स्थिति में वह रीति रिवाज एक तरह से कानून या विधि की प्रास्थिति प्राप्त कर लेते है। ऐसे रीति रिवाजों को पृथक से साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है।*

32. साथ ही उक्त संदर्भ में उक्त न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कानूनी रूप से अनुमत रीति रिवाज एवं उपयोग तथा न्यायिक प्रकरणों में उक्त रीति रिवाज के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने के बारे में विधिक स्थिति स्पष्ट होती है—

- *It need not be stated that the parties setting up a particular custom is required not only to allege but to prove it so as to make such a custom to be a rule of law as applicable to the concerned parties.*
- *that custom cannot be extended by analogy and it cannot be established by a "priori" methods. A custom cannot be extended by analogy or logical process and it also cannot be established by a priori method.*
- *that it is not that any theory of custom or deductions from other customs which can be made a rule of decision but only any custom applicable to the parties concerned that can be the rule of decision in a particular case.*
- *It is well-settled that if the Courts have recognised the custom in a particular matter for a long time, that is considered to be the law and it is not necessary to prove it. The Courts can take judicial notice of such a custom.*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.14 10:19:12 IST
Reason: SelfAttested

- *It therefore appears to us that the ordinary rule is that all customs, general or otherwise, have to be proved. Under S. 57 of the Evidence Act, however, nothing need be proved of which courts can take judicial notice. Therefore it is said that if there is custom of which the Courts can take judicial notice, it need not be proved.*
- *When a custom or usage, whether in regard to a tenure or a contract or a family right, is repeatedly brought to the notice of the Courts of a country, the Courts may hold that custom or usage to be introduced into the law without necessity of proof in each individual case*
- *that custom, being in derogation of a general rule, is required to be construed strictly. A party relying upon a custom, is obliged to establish it by way of clear and unambiguous evidence.*
- *The evidence adduced on behalf of the party concerned must prove the alleged custom and the proof must not be unsatisfactory and conflicting.*
- *It is essential that special usage, which modifies the ordinary law of succession is ancient and invariable; and it is further essential that such special usage is established to be so, by way of clear and unambiguous evidence. It is only by means of such evidence, that courts can be assured of their existence, and it is also essential that they possess the conditions of antiquity and certainty on the basis of which alone, their legal title to recognition depends.*
- *Where the proof of a custom rests upon a limited number of instances of a comparatively recent date, the court may hold the custom proved so as to bind the parties to the suit and those claiming through and under them. All that is necessary to prove is that the usage has been acted upon in practice for such a long period and with such invariability as to show that it has, by common consent, been submitted to as the established governing rule of a particular locality. A custom may be proved by general evidence as to its existence by members of the tribe or family who would naturally be cognizant of its existence, and its exercise without controversy*
- *Generally, there is a presumption that law prevails and when the claim of custom is against such general presumption, then, whoever sets up the plea of existence of any custom has to discharge the onus of proving it, with all its requisites to the satisfaction of the Court in a most clear and unambiguous manner.*
- *A general custom which the appellant intends to prove requires greater proof than the one appellant adduced before the court.*
- *Any amount of evidence or proof adduced without there being proper pleading is of no consequence and will not come to the rescue of the parties.*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.14 10:19:12 IST
Reason: SelfAttested

- *that the burden of proving adoption is a heavy one and if there is no documentary evidence in support of adoption, the Court should be very cautious in relying upon oral evidence.*

33. प्रकरण में अब उक्त हिन्दु दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम—1956 की धारा—11 तथा न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि

- *हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम—1956 की धारा—11 के तहत पुत्र को गोद लेने की स्थिति में गोद लेने वाले माता या पिता के पूर्व से ही कोई पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र नहीं होना अपेक्षित है।*
- *किसी पुत्री को गोद लेने की स्थिति में गोद लेने वाले माता या पिता के पूर्व से ही कोई पुत्री, पौत्री, प्रपौत्री नहीं होना अपेक्षित है। साथ ही किसी महिला हिन्दू द्वारा पुत्र को गोद लेने की स्थिति में गोद लेने वाले माता तथा गोद लिए जा रहे पुत्र की आयु में कम से कम 21 वर्ष का अन्तर होना अपेक्षित है।*
- *किसी पुरूष हिन्दू द्वारा पुत्री को गोद लेने की स्थिति में गोद लेने वाले पिता तथा गोद लिए जा रहे पुत्री की आयु में कम से कम 21 वर्ष का अन्तर होना अपेक्षित है। साथ ही एक ही व्यक्ति को एक साथ दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा गोद नहीं लिया जाना अपेक्षित है।*
- *गोद लिए जा रहे व्यक्ति का अपने जन्म स्थान से वास्तविक रूप से गोद में गोद देने तथा गोद लिए जा रहे व्यक्ति का अपने गोद जाने के स्थान हेतु वास्तविक रूप से गोद में प्रदान करने की मंशा से होना अपेक्षित है।*

34. उपरोक्त हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम—1956 की धारा—11 के विश्लेषण के पश्चात अब हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम—1956 की धारा—12 में गोद के प्रभाव के संबंध में प्रावधान किये गए है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि

- *हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम—1956 की धारा—12 के तहत गोद लिया गया व्यक्ति, गोद लेने वाले परिवार में जैविक संतान के समान स्थिति को प्राप्त करता है।*
- *किसी हिन्दू विधवा द्वारा गोद लिया गया कोई व्यक्ति, गोद लेने वाले परिवार में अपने पूर्व मृत पिता का भी पुत्र/पुत्री के समान स्थिति को प्राप्त करता है।*
- *हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम—1956 की धारा—12 के परन्तुक के बिन्दू—बी के तहत गोद लिया गया व्यक्ति में गोद ग्रहण से पूर्व समाहित व निहित संपत्ति उस व्यक्ति के गोद ग्रहण के पश्चात भी गोद लिए गए व्यक्ति में समाहित व निहित बने रहते है।*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.14 10:19:12 IST
Reason: SelfAttested

35. प्रकरण में अब सहदायिकी में गोदपुत्र की स्थिति के संबंध में न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि

- *कोई हिन्दू संयुक्त परिवार में एकल पुरूष या सहदायक सदस्य होने की स्थिति में भी हिन्दू संयुक्त परिवार का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है।*
- *किसी हिन्दू संयुक्त परिवार में एकल पुरूष या सहदायक सदस्य होने की स्थिति में किसी पुरूष के गोद लेने की स्थिति में सहदायिकी बनी रहती है।*
- *किसी सहदायिकी का किसी सहदायक के द्वारा विभाजन के पश्चात प्राप्त हिस्सा उस सहदायक का पृथक व स्वतंत्र हिस्सा होता है। जैसे ही उस सहदायक के कोई पुत्र उत्पन्न होता है या कोई पुत्र गोद ग्रहण किया जाता है तो सहदायिकी पुनर्जीवित हो जाती है।*
- *किसी हिन्दू विधवा महिला के द्वारा गोद लिया गया पुरूष उस हिन्दू संयुक्त परिवार व सहदायिकी में अपने गोद पिता की मृत्यु के दिन से ही गोद लिया गया एवं सहदायक माना जाता है।*

36. प्रकरण में अब उक्त हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम–1956 की धारा–12 के परन्तुक के बिन्दू–सी तथा न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि

- *किसी हिन्दू विधवा महिला के द्वारा गोद लिया गया पुरूष उस हिन्दू संयुक्त परिवार व सहदायिकी में अपने गोद पिता की मृत्यु के दिन से ही गोद लिया गया एवं सहदायक माना जाता है।*
- *किसी हिन्दू विधवा महिला के द्वारा गोद लिया गया पुरूष अपने गोद ग्रहण से पूर्व सहदायिकी संपत्ति का विभाजन व निस्तारण को अमान्य ठहराते हुए गोद पुत्र अपने मृत पिता के दिन की स्थिति के आधार पर अपने हिस्से का दावा कर सकता है। हालाकि इस प्रकार गोद पुत्र द्वारा किए गए दावे से गोद से पूर्व निष्पादित विभाजन के प्रभाव पूरी तरह समाप्त नहीं होते हैं।*
- *किसी हिन्दू विधवा महिला के द्वारा गोद लिया गया पुरूष अपने गोद ग्रहण से पूर्व सहदायिकी संपत्ति के वैद्य निस्तारण व अंतरण से बाध्य रहता है। यहां वैद्य अंतरण से तात्पर्य विधिक आवश्यकता से नहीं होकर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसरण में किए गए अंतरण से है।*
- *किसी हिन्दू विधवा महिला के द्वारा गोद लिया गया पुरूष अपने गोद ग्रहण से पूर्व सहदायिकी संपत्ति के उस विधवा के द्वारा अपने सीमित अधिकार के तहत किए गए वैद्य अंतरण से बाध्य रहता है।*
- *किसी हिन्दू विधवा महिला के द्वारा गोद लिया गया पुरूष अपने गोद ग्रहण से पूर्व सहदायिकी संपत्ति के उस परिवार के कर्ता के द्वारा अपनी अधिकारिता के तहत किए गए वैद्य अंतरण से बाध्य रहता है।*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.14 10:19:12 IST
Reason: SelfAttested

- *किसी सहदायक को वैद्य विभाजन से प्राप्त संपत्ति, जिसमें उसकी संतान को जन्म से कोई अधिकार नहीं है, का अंतरण करने पर पश्चातवर्ती गोद पुत्र उक्त अंतरणों से बाध्य रहता है।*

37. प्रकरण में अब उक्त हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम—1956 की धारा—13 तथा न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि

- *कोई गोद संतान अपने गोद ग्रहण के पश्चात अपने गोद माता—पिता में समाहित व निहित अधिकारों पर कोई व्यवधान उत्पन्न नही कर सकता है। हालाकि इस प्रकार गोद पुत्र द्वारा किए गए दावे से गोद से पूर्व निष्पादित विभाजन के प्रभाव पूरी तरह समाप्त नहीं होते हैं।*

38. प्रकरण में अब उक्त हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम—1956 की धारा—16 तथा न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि

- *हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम—1956 के तहत किसी व्यक्ति को गोद लेने के लिए पंजीबद्ध गोदनामा होना अपरिहार्य शर्त नहीं है।*
- *किसी व्यक्ति को दत्तक पुत्र होने के लिए आवश्यक है कि वह दत्तक पुत्र हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम—1956 के द्वारा प्रावधित की गई शर्तो को पूरा करता हो और गोद लिये व दिये जाने की रस्म पूरी की गई हो। उक्त प्रकार से दत्तक व्यवस्था को हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम—1956 के तहत वैध माना गया है।*
- *किसी व्यक्ति को गोद लेने की रस्म किसी अलग दिन पूरी की गई हो और पंजीबद्ध गोदनामा किसी अन्य पश्चातवर्ती दिन निष्पादित के होने की स्थिति में गोद लिये जाने का प्रभाव गोद लिये जाने की रस्म के दिन से आरंभ हो जाता है। अर्थात् गोद पंजीबद्ध गोदनामा से प्रभावित नहीं होकर गोद की रस्म से प्रभावित होता है।*
- *इस प्रकार पंजीबद्ध गोदनामा पूर्व में अदा की गई गोद की रस्म को एक दस्तावेजीय स्वरूप देना मात्र है।*
- *अगर किसी प्रकरण में पंजीबद्ध गोदनामा के आधार पर गोद का अभिवचन किया जाता है तो धारा—16 के तहत न्यायालय द्वारा यह अवधारणा लिए जाने के प्रावधान है कि जब तक कि उक्त गोद को अवैध घोषित नहीं किया जाता है तब तक उक्त गोद वैद्य गोद है। अर्थात् पंजीबद्ध गोदनामा धारक अधिक प्रभावी स्थिति में रहता है।*
- *अगर किसी प्रकरण में पंजीबद्ध गोदनामा के आधार पर गोद का अभिवचन किया जाता है तो धारा—16 के तहत न्यायालय द्वारा यह अवधारणा लिए जाने के प्रावधान है। अगर कोई पक्ष इस स्थिति में उक्त गोद को चुनौती देता है तो उक्त गोद को अवैद्य साबित करने का भार चुनौती करने वाले पक्ष पर होता है।*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.14 10:19:12 IST
Reason: SelfAttested

- *अगर किसी प्रकरण में बिना पंजीबद्ध गोदनामा के आधार पर गोद का अभिवचन किया जाता है तो उक्त गोद को वैद्य साबित करने का भार दावा करने वाले पक्ष पर होता है।*
- *अगर किसी प्रकरण में पंजीबद्ध गोदनामा के आधार पर गोद का अभिवचन किया जाता है तो धारा—16 के तहत न्यायालय द्वारा यह अवधारणा लिए जाने के प्रावधान है। अगर कोई पक्ष इस स्थिति में उक्त गोद को चुनौती देता है तो उक्त गोद को अवैद्य साबित करने का भार चुनौती करने वाले पक्ष पर होता है।*
- *अगर किसी प्रकरण में बिना पंजीबद्ध गोदनामा के आधार पर गोद का अभिवचन किया जाता है तो उक्त गोद को वैद्य साबित करने का भार दावा करने वाले पक्ष पर होता है।*
- *किसी प्रकरण में किसी संपत्ति के प्राकृतिक न्यागमन से हटकर गोद के आधार पर न्यागमन का दावा करने की स्थिति में गोद को संदेहरहित व मजबूत साक्ष्य के परीक्षण पर गोद की वैद्यता की बारीकी से जांच व परीक्षण किया जाना अपेक्षित होता है। इस तथ्य को दावा करने वाले पक्ष द्वारा आवश्यक रूप से साबित करने का भार का निर्वहन किया जाना अपेक्षित होता है।*
- *किसी गोद की वैद्यता का केवल तकनीकी खामियों के आधार पर परीक्षण नहीं किया जाना चाहिए। जब तकनीकी खामी एवं सारभूत प्रश्न आमने—सामने हो तो न्याय निर्णयन करने हुए तकनीकी खामी को नजरअंदाज किया जाना अपेक्षित होता है।*
- *किसी प्रकरण में गोद को वैद्य साबित करने का कोई निश्चित पैमाना नहीं है। यह प्रकरण दर प्रकरण अलग—अलग हो सकता है तथा प्रकरण के तथ्यों पर आधारित होता है।*

39. उपरोक्त प्रकार से हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम—1956 के तहत गोद के संबंध में प्रभावी प्रावधानों व माननीय न्यायालयों द्वारा उक्त प्रावधानों की व्याख्या को समझने के पश्चात कानूनी संकल्पना के साथ अब प्रकरण का प्रस्तुत तथ्यों के संदर्भ में विश्लेषण अपेक्षित है। प्रकरण में प्रतिवादी का अभिकथन है कि लेहरो देवी द्वारा भैरसिंह को गोदपुत्र ग्रहण किया गया था। इस कारण लेहरो देवी की विरासत गोदपुत्र भैरसिंह के नाम सही दर्ज की गई है। इस संबंध में हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम—1956 के तहत गोद के संबंध में प्रभावी प्रावधानों व माननीय न्यायालयों द्वारा उक्त प्रावधानों की व्याख्या को समझने के पश्चात यह ज्ञात होता है कि प्रकरण में लेहरो देवी द्वारा भैरसिंह को गोद लेते हुए पंजीबद्ध गोदनामा निष्पादित नहीं करवाया गया। इस कारण प्रकरण में हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम—1956 की धारा—16 के तहत पंजीबद्ध गोदनामा नहीं होने के कारण लेहरो देवी द्वारा भैरसिंह को गोद लेने के तथ्य के बारे में उपधारणा नहीं की जा सकती है। इस प्रकार प्रकरण में गोद के आधार पर विरासत का दावा करने वाले पक्षकार अर्थात्त प्रतिवादीगण को पंजीबद्ध गोदनामा नहीं होने की स्थिति में अपने को गोद जाने के तथ्य को साबित करने का भार स्वयं प्रतिवादी के उपर है। अर्थात्त भैरसिंह को लेहरो देवी के द्वारा गोद लिये जाने के तथ्य को साबित करने का भार भैरसिंह के वारिसान पर है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.14 10:19:12 IST
Reason: SelfAttested

40. प्रकरण में अग्रिम विश्लेषण से पूर्व सिविल मामलों में संबंधित पक्षों के दावे व खण्डन के संबंध में साबित करने के भार के संबंध में कानूनी स्थिति का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम—2023 के प्रासंगिक प्रावधानों का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम—2023 के प्रासंगिक प्रावधानों का उद्धरण निम्न प्रकार है—

OF THE BURDEN OF PROOF

104. Burden of proof.—*Whoever desires any Court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts must prove that those facts exist, and when a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person.*

Illustrations.

(a) A desires a Court to give judgment that B shall be punished for a crime which A says B has committed. A must prove that B has committed the crime.

(b) A desires a Court to give judgment that he is entitled to certain land in the possession of B, by reason of facts which he asserts, and which B denies, to be true. A must prove the existence of those facts.

105. On whom burden of proof lies.—*The burden of proof in a suit or proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all were given on either side.*

Illustrations.

(a) A sues B for land of which B is in possession, and which, as A asserts, was left to A by the will of C, B's father. If no evidence were given on either side, B would be entitled to retain his possession. Therefore, the burden of proof is on A.

(b) A sues B for money due on a bond. The execution of the bond is admitted, but B says that it was obtained by fraud, which A denies. If no evidence were given on either side, A would succeed, as the bond is not disputed and the fraud is not proved. Therefore, the burden of proof is on B.

106. Burden of proof as to particular fact.—*The burden of proof as to any particular fact lies on that person who wishes the Court to believe in its existence, unless it is provided by any law that the proof of that fact shall lie on any particular person.*

Illustration.

A prosecutes B for theft, and wishes the Court to believe that B admitted the theft to C. A must prove the admission. B wishes the Court to believe that, at the time in question, he was elsewhere. He must prove it.

107. Burden of proving fact to be proved to make evidence admissible.—*The burden of proving any fact necessary to be proved in order to enable any person to give evidence of any other fact is on the person who wishes to give such evidence.*

Illustrations.

(a) A wishes to prove a dying declaration by B. A must prove B's death.

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.14 10:19:12 IST
Reason: SelfAttested

(b) A wishes to prove, by secondary evidence, the contents of a lost document. A must prove that the document has been lost.

41. इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 2413/2006 उनवान में निर्णय दिनांक 02.05.2006 में साक्ष्य अधिनियम—1887 के प्रासंगिक प्रावधानों की विवेचना करते हुए किसी दावे में साबित करने के भार के बारे में विस्तृत विवेचना करते हुए न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किया है। उक्त न्यायिक दृष्टांत के प्रासंगिक विवेचन का उद्धरण निम्न प्रकार है—

The initial burden of proof would be on the plaintiff in view of Section 101 of the Evidence Act, which reads as under:-

> *"Sec. 101. Burden of proof.- Whoever desires any Court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts, must prove that those facts exist.*
>
> *When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person."*

In terms of the said provision, the burden of proving the fact rests on the party who substantially asserts the affirmative issues and not the party who denies it. The said rule may not be universal in its application and there may be exception thereto.....

Pleading is not evidence, far less proof. Issues are raised on the basis of the pleadings. The defendant-appellant having not admitted or acknowledged the fiduciary relationship between the parties, indisputably, the relationship between the parties itself would be an issue. The suit will fail if both the parties do not adduce any evidence, in view of Section 102 of the Evidence Act. Thus, ordinarily, the burden of proof would be on the party who asserts the affirmative of the issue and it rests, after evidence is gone into, upon the party against whom, at the time the question arises, judgment would be given, if no further evidence were to be adduced by either side.

xxx

There is another aspect of the matter which should be borne in mind. A distinction exists between a burden of proof and onus of proof. The right to begin follows onus probandi. It assumes importance in the early stage of a case. The question of onus of proof has greater force, where the question is which party is to begin. Burden of proof is used in three ways : (i) to indicate the duty of bringing forward evidence in support of a proposition at the beginning or later; (ii) to make that of establishing a proposition as against all counter evidence; and (iii) an indiscriminate use in which it may mean either or both of the others. The elementary rule is Section 101 is inflexible. In terms of Section 102 the initial onus is always on the plaintiff and if he discharges that onus and makes out a case which entitles him to a relief, the onus shifts to the defendant to prove those circumstances, if any, which would disentitle the plaintiff to the same.

In R.V.E. Venkatachala Gounder v. Arulmigu Viswesaraswami & V.P. Temple and Anr., the law is stated in the following terms :

> *"29. In a suit for recovery of possession based on title it is for the plaintiff to prove his title and satisfy the court that he, in law, is entitled to dispossess the defendant from his possession over the suit property and for the possession to be restored to him. However, as held in A. Raghavamma v. A.*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.14 10:19:12 IST
Reason: SelfAttested

Chenchamma there is an essential distinction between burden of proof and onus of proof:

burden of proof lies upon a person who has to prove the fact and which never shifts. Onus of proof shifts. Such a shifting of onus is a continuous process in the evaluation of evidence. In our opinion, in a suit for possession based on title once the plaintiff has been able to create a high degree of probability so as to shift the onus on the defendant it is for the defendant to discharge his onus and in the absence thereof the burden of proof lying on the plaintiff shall be held to have been discharged so as to amount to proof of the plaintiff's title."

42. प्रकरण में भारतीय साक्ष्य अधिनियम—2023 के प्रासंगिक प्रावधानों तथा उक्त न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन करने पर कानूनी स्थिति स्पष्ट होती है कि जहां आपराधिक प्रकरणों में निर्णयन संदेहरहित प्रमाणन के आधार पर किया जाता है। वही सिविल प्रकृति के मामलों में संभावनाओं की प्रबलता / प्रधानता के आधार पर निर्णयन किया जाता है। साथ ही यह भी कानूनी स्थिति है कि दावे के अभिवचन साक्ष्य नहीं होते है। दावाकर्त्ता व्यक्ति को अपने दावे के समर्थन में पृथक से साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए अपने दावे के तथ्य को साबित करने का दायित्व होता है।

43. इसके साथ ही यह भी कानूनी स्थिति स्पष्ट होती है कि सबूत का भार (Burden of Proof) तथा प्रमाण का भार (Onus of Proof) में अंतर है। किसी सिविल दावे में सबूत का भार (Burden of Proof) प्रमुखतः वादी पर होता है। सबूत का भार (Burden of Proof) स्थानांतरित नहीं होता है। जबकि प्रमाण का भार (Onus of Proof) स्थानांतरित होता है। किसी सिविल दावे में किसी तथ्य को साबित करने का भार (Burden of Proof) उस तथ्य के आधार पर दावा करने वाले व्यक्ति पर होता है। जब किसी तथ्य को किसी व्यक्ति द्वारा प्रमाण का भार (Onus of Proof) पूर्ण करते हुए साबित करने का दायित्व पूर्ण किया जाता है तो प्रमाण का भार (Onus of Proof) प्रतिद्वंदी पर आ जाता है। अब प्रतिद्वंदी को उक्त तथ्य विशेष के खण्डन हेतु साबित करने का भार (Onus of Proof) होने के कारण अगर प्रमाण प्रस्तुत करते हुए प्रमाणन का भार (Onus of Proof) पूर्ण किया जाता है तो प्रमाण का भार (Onus of Proof) वापस स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार प्रमाण का भार (Onus of Proof) स्थानांतरित होता रहता है। यह एक अनवरत प्रक्रिया है। जो व्यक्ति प्रमाणन का भार (Onus of Proof) का दायित्व पूर्ण करने में असफल रहता है उसके विरूद्ध उक्त तथ्य को साबित माना जाता है।

44. प्रकरण में जहां एक तरफ वादी का अभिकथन है कि लेहरो देवी ने भैरसिंह को गोद नहीं लिया था। जबकि इसके विपरीत प्रतिवादी का अभिकथन है कि लेहरो देवी ने भैरसिंह को गोदपुत्र ग्रहण किया था। प्रकरण में लेहरोदेवी द्वारा लगभग आज से 60 वर्ष पूर्व भैरसिंह को गोद लिया जाना प्रतिवादी द्वारा अभिकथित किया गया है। चूंकि प्रकरण में पंजीबद्ध गोदनामा निष्पादित नहीं किया गया है। इस कारण करीब 60 वर्ष पूर्व के गोद को बिना पंजीबद्ध गोदनामा के साबित किया जाना अपेक्षित है। चूंकि प्रकरण में उक्त गोद के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। यहां यह समझना व्यावहारिक है कि आज से करीब 60 वर्ष पूर्व सम्पादित किसी गोदनामा के बारे में कोई साक्ष्य, चाहे दस्तावेजी साक्ष्य हो या

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.14 10:19:12 IST
Reason: SelfAttested

मौखिक साक्ष्य, समय के साथ कम या नगण्य होते जाते हैं। यहां यह समझना भी व्यावहारिक है कि आज से करीब 60 वर्ष पूर्व किसी गोद के बारे में दस्तावेज को पंजीबद्ध करवाया जाने के प्रकरण कम होते हैं। क्योंकि ग्रामीण परिवेश में किसी गोद को पंजीबद्ध करवाये जाने तथा बिरादरी में उक्त गोद के संबंध में बहुत कम विवाद सामने आने की प्रवृति के कारण गोद को दस्तावेज के रूप में लेने तथा उक्त दस्तावेज पर पंजीयन के समय मुद्रांक शुल्क आदि के कारण भी पंजीबद्ध करवाने की प्रवृति कम रहती है। इसके साथ ही ग्रामीण परिवेश में नियम कानूनों की जानकारी तथा समय—समय पर कानून परिवर्तन की जानकारी का अभाव व भावी विवादों से बचने हेतु दूरदृष्टि सोच की कमी के कारण भी गोद को दस्तावेज के रूप में लेने तथा दस्तावेज को पंजीबद्ध करवाने की कम प्रवृति देखने को मिलती है। साथ ही इतने लम्बे समय के पश्चात् पूर्व में लिये गये गोद के बारे में बिरादरी के बहुत कम सदस्य बतौर साक्ष्य वर्तमान में जीवित रहते हैं। इस कारण भी मौखिक साक्ष्य में कमी होना व्यावहारिक है। उक्त परिप्रेक्ष्य में भैरसिंह के गोद जाने के दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य की अनुपस्थिति में पक्षकारों के आचरण के माध्यम से भैरसिंह के गोद जाने के तथ्य का परीक्षण किया जाना व्यावहारिक प्रतीत होता है।

45. इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालयों व माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **1970 AIR 1286** बउनवान ***Debi Prasad (Dead) By L.Rs vs Tribeni Devi*** में दिनांक 18.03.1970 को दिये गये निर्णय में गोद को चुनौती देने के संबंध में कानूनी स्थिति को स्पष्ट किया है। उक्त न्यायिक दृष्टांत के प्रासंगिक पैरा का उद्धरण निम्न प्रकार हैः—

> *While considering the question of proof of the adoption pleaded, we must bear in mind the fact that the same is alleged to have taken place in 1892 nearly 54 years before the present suit was instituted. Therefore, naturally, it was extremely difficult for Shyam Behari Lai to adduce any oral evidence in proof of that adoption. All the persons who could have known about the adoption are likely to have died. Shyam Behari Lai himself could not speak to that adoption. His evidence is at best hearsay. It is true, as observed by this Court in Addagada Raghayamma and anr. v. Addagada Chenchamma and anr. (1) that it is **settled that (a person. who seeks to displace the natural succession to property by alleging an adoption must discharge the burden that lies upon him by proof of the factum of adoption and its validity**). Again as held by this Court in Lakshman Singh Kothari v. Smt. Rup Kanwar(2) that in order that an adoption may be valid under the Hindu law, there must be a formal ceremony of giving and taking. This is true of the regenerate castes as well as of the Sudras. Although no particular form is prescribed for the ceremony, the law requires that the natural parent should hand over the adoptive boy and the adoptive parent must receive him, the nature of the ceremony varying according to the circumstances. In the course of the judgment Subba Rao J. (as he then was) who spoke for the, Court quoted with approval the following observations of Gopalchandra Sarkar in his book on Hindu Law, 8th Edn.;*
>
> > *"The ceremonies of giving and taking are absolutely necessary 'in all cases. These ceremonies must be accompanied by the actual delivery of the child; symbolical or constructive delivery by the mere parol expression of intention on the part of the giver and the taker without the presence of the boy is not sufficient. Nor are deeds of gift and acceptance executed and registered in anticipation of the intended adoption nor*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.14 10:19:12 IST
Reason: SelfAttested

acknowledgment, sufficient by themselves to constitute legal adoption, in the absence of actual gift and acceptance accompanied by actual delivery; a formal ceremony being essential for that purpose."

That is also the view expressed in Mayne's Hindu Law wherein it is observed that-the giving and receiving are absolutely necessary to the validity of an adoption; they are the operative part of the ceremony, being that part of it which transfers the boy from one family to another; but the Hindu law does not require that there shall be any particular form so far as giving and acceptance are concerned; for a valid, adoption all that the law requires is that the natural father shall be asked by the adoptive parent to give his son in adoption, and that the boy shall be handed over and taken for this purpose.

There is no doubt that the burden of proving satisfactorily that he was given by his natural father and received by Gopal Das as his adoptive son is on Shyam Behari Lal. But as observed by the Judicial Committee of the Privy Council in Rajendrao Nath Holder v. Jogendro Nath Benerjee and ors.(1); ***that although the person who pleads that he had been adopted is bound to prove his title as adopted son, as a fact yet from the long period during which he had been received as an adopted son, every allowance for the absence of evidence to prove such fact was to be favourably entertained, and that the case was analogous to that in which the legitimacy of a person in possession had been acquiesced in for a considerable time, and afterwards impeached by a party, who had a right to question the legitimacy, where the defendant, in order to defend his status, is allowed to invoke against the claimant every presumption which arises from long recognition of his legitimacy by members of his family; that in the case of a Hindoo, long recognition as an adopted son, raised even a stronger presumption in favour of the validity of his adop- tion, arising from the possibility of the loss of his rights in his own family by being adopted in another family. In Rup Narain and anr. v. Mst. Gopal Devi and ors. (1), the Judicial Committee observed, that in the absence of direct evidence much value has to be attached to the fact that the alleged adopted son had without controversy succeeded to his adoptive father's estate and enjoyed till his death and that documents during his life and after his death were framed upon the basis of the adoption. A Division Bench of the Orissa High Court in Balinki Padhano and anr. v. Gopalkrishntt Padhano and ors(3); held that in the case of an ancient adoption evidence showing that the boy was treated for a long time as the adopted son at a time when there was no controversy is sufficient to prove the adoption although evidence of actual giving and taking is not forthcoming.*** *We are in agreement with the views expressed in the decisions referred to above.*

In the case of all ancient transactions, it is but natural that positive oral evidence will be lacking. Passage of time gradually wipes out such evidence. Human affairs often have to be judged on the basis of probabilities. Rendering of justice will become impossible if a particular mode of proof is insisted upon under all circumstances. In judging whether an adoption pleaded has been satisfactorily proved or not, we have to bear in mind the lapse of time between the date of the alleged adoption and the date on which the concerned party is required to adduce proof. In the case of an adoption said to have taken place years before the same is questioned, the most important evidence is likely to be that the alleged adoptive, father held out the person claiming to have been adopted as his son; the latter treated the former as his father and their relations and friends treated them as father and son. There is no predetermined way of proving any fact. A fact is said to have been proved where after considering the matters before it, the court either believes it to exist or considers its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.14 10:19:12 IST
Reason: SelfAttested

case, to act upon the supposition that it exists. Hence if after taking an overall view of the evidence adduced in the case, we are satisfied that the adoption pleaded is true, we must necessarily proceed on the basis, in the absence of any evidence to the contrary, that it is a valid adoption as well.

46. प्रकरण में माननीय न्यायालय के उक्त दृष्टांत के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी व्यक्ति के गोद जाने के दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य की अनुपस्थिति में पक्षकारों के आचरण के माध्यम से प्रकरण तथ्य का परीक्षण किया जाना व्यावहारिक प्रतीत होता है। क्योंकि गोद लिए जाने का तथ्य/घटना को बहुत समय व्यतीत हो जाने के पश्चात समय के साथ साक्ष्य में निरन्तर कमी होने से तथ्य को साबित कर पाने की संभावनाएं धीरे–धीरे कम होती जाती है। इस स्थिति में गोद लिए जाने का तथ्य/घटना को बहुत समय व्यतीत हो जाने के पश्चात समय के गोद लिए गए तथाकथित व्यक्ति का गोद लेने वाले परिवार में प्रास्थिति तथा परिवार के सदस्यों का तथाकथित गोद व्यक्ति के साथ व्यवहार/आचरण व संबंधों की प्रास्थिति के साथ ही तथाकथित गोद व्यक्ति का गोद लिए गए परिवार की संपत्ति व कार्यक्रमों में भागीदारी तथा उक्त भागीदारी के संबंध में अन्य पारिवारिक सदस्यों का आचरण के माध्यम से गोद लिए जाने के तथ्य का परीक्षण किया जाना प्रासंगिक है।

47. इस कड़ी में सर्वप्रथम नामांतरण संख्या 03 का तथा नामांतरण के पश्चात् पक्षकारों के आचरण के बारे में विवेचन किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में लेहरो पत्नी रूपसिंह की मृत्यु के पश्चात् नामांतरण संख्या 03 भैरसिंह खोले (दत्तक पुत्र) लेहरो के नाम विरासत दर्ज की गई। उक्त नामांतरण से लेहरो पत्नी रूपसिंह की सम्पत्ति भैरसिंह के नाम दर्ज की गई। इस नामांतरण की कार्यवाही को आदिनांक तक वादी द्वारा चुनौती नहीं दी गई। इससे यह उपधारणा की जा सकती है कि उक्त लम्बी अवधि तक वादी को उक्त नामांतरण संख्या 03 की कार्यवाही से कोई आपत्ति नहीं थी।

48. प्रकरण में उक्त नामांतरण संख्या 03 की कार्यवाही के पश्चात् तत्पश्चात् भैरसिंह के द्वारा अपनी लेहरो की विरासत से प्राप्त सम्पत्ति में से खसरा संख्या 51 रकबा 55 बीघा की सम्पूर्ण भूमि का अंतरण किया गया। उक्त अंतरण पर क्रेता को मौके पर काबिज किया गया। उक्त क्रेता आदिनांक भी मौके पर काबिज है। इसके साथ ही भैरसिंह द्वारा खसरा संख्या 82 में से 26 बीघा भूमि का पुनः अंतरण किया गया। उक्त अंतरण पर क्रेता को मौके पर काबिज किया गया। उक्त क्रेता आदिनांक भी मौके पर काबिज है। उक्त अंतरण एवं मौके पर काबिज क्रेता को वादीगण द्वारा अंतरण व मौके पर काबिज होने के समय तथा आदिनांक तक कोई चुनौति नहीं दी गई है। इससे यह उपधारणा किया जाना व्यावहारिक है कि लेहरो पत्नी रूपसिंह की सम्पत्ति पर वास्तव में मौके पर भैरसिंह काबिज काश्त हुआ तथा बतौर खातेदार अपनी आराजी का अंतरण किया गया। इस स्थिति में अगर वादीगण उक्त अंतरित आराजी पर कोई स्वामित्व व कब्जा निहित रखते तो निश्चित रूप से तत्समय वादीगण द्वारा विरोध प्रदर्शित किया गया होता। परंतु वादीगण द्वारा भैरसिंह के द्वारा किये गये उक्त अंतरणों को स्वीकार करने का आचरण किया। इससे यह उपधारणा की जा सकती है कि वादी द्वारा भैरसिंह को लेहरो का गोदपुत्र के रूप में लेहरो की सम्पूर्ण सम्पत्ति पर भैरसिंह के सालिम अधिकार को स्वीकार करने का आचरण किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.14 10:19:12 IST
Reason: SelfAttested

49. प्रकरण में अब नामांतरण संख्या 04 का तथा नामांतरण के पश्चात् पक्षकारों के आचरण के बारे में विवेचन किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में नारायणसिंह पुत्र अमसिंह की मृत्यु के पश्चात् नामांतरण संख्या 04 नगसिंह पुत्र नारायणसिंह एवं जवाहरसिंह पुत्र नारायणसिंह के नाम विरासत दर्ज की गई। प्रकरण में यह निर्विवादित है कि नारायणसिंह के तीन पुत्र क्रमशः नगसिंह, भैरसिंह एवं जवाहरसिंह थे। लेकिन नारायणसिंह की मृत्यु के समय नामांतरण संख्या 04 द्वारा भैरसिंह को छोड़ते हुए विरासत केवल नगसिंह व जवाहरसिंह के नाम दर्ज की गई। इस नामांतरण की कार्यवाही को आदिनांक तक वादी द्वारा चुनौती नहीं दी गई। इससे यह उपधारणा की जा सकती है कि उक्त लम्बी अवधि तक वादी को उक्त नामांतरण संख्या 04 की कार्यवाही से कोई आपत्ति नहीं थी। अगर भैरसिंह को लेहरो के द्वारा गोद नहीं लिया गया होता, तो निश्चित रूप से नारायणसिंह की विरासत में भैरसिंह को भी नगसिंह व जवाहरसिंह के बराबर हिस्सा प्राप्त होता। इससे यह उपधारणा की जा सकती है कि नारायणसिंह की मृत्यु से पूर्व ही भैरसिंह को लेहरोदेवी द्वारा गोद ग्रहण कर लिया था। उक्त नामांतरण संख्या 03 की कार्यवाही नारायणसिंह की मृत्यु से पूर्व सम्पादित की गई थी। अर्थात्त नारायणसिंह को भी यह स्वीकार था कि भैरसिंह को लेहरोदेवी द्वारा गोद लिया गया है। इसी आधार पर लेहरोदेवी की सम्पत्ति विरासत में अकेले भैरसिंह को प्राप्त हुई है।

50. प्रकरण में उक्त नामांतरण संख्या 04 की कार्यवाही के पश्चात् वादीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी पर तकावी लिया गया। इससे यह ज्ञात होता है कि वादीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी के इन्द्राज की बखुबी जानकारी थी। उक्त राजस्व इन्द्राज की जानकारी रखने पर भी वादीगण द्वारा बैंक ऋण प्राप्त किया गया। इससे यह उपधारणा की जा सकती है कि नारायणसिंह की मृत्यु के पश्चात् नारायणसिंह की सम्पत्ति में भैरसिंह को कोई अधिकार नहीं दिया गया। क्योंकि नामांतरण संख्या 04 के अमल से पूर्व ही नामांतरण संख्या 03 के द्वारा भैरसिंह को लेहरोदेवी का वारिस घोषित किया जा चुका था। इस प्रकार नामांतरण संख्या 03 व 04 की अनुपूरक कार्यवाही वादीगण को स्वीकार थी। इस प्रकार वादी द्वारा भैरसिंह को लेहरो का गोदपुत्र के रूप में लेहरो की सम्पूर्ण सम्पत्ति पर भैरसिंह के सालिम अधिकार को स्वीकार करने का आचरण किया।

51. प्रकरण में एक अन्य बिन्दु का भी विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में खसरा संख्या 180 मौजा धांधलावास में से कुछ आराजी को केयर्न कम्पनी के द्वारा अधिग्रहण किया गया। उक्त अधिग्रहण की कार्यवाही के समय उक्त आराजी के मुआवजे के भुगतान हेतु उज्रदारी प्रस्तुत करने हेतु नोटिस प्रकाशित किये गये। तत्समय वादीगण द्वारा उक्त कार्यवाही पर कोई उज्रदारी प्रस्तुत नहीं की गई। इसके साथ ही उक्त अवाप्ति में अकेले भैरसिंह के वारिसान को भुगतान किये गये मुआवजे के संबंध में भी वादीगण द्वारा कोई उज्रदारी प्रस्तुत नहीं की गई। साथ ही वादीगण द्वारा इस संबंध में भी कोई उज्रदारी या अभिकथन प्रस्तुत नहीं किया गया कि उक्त अवाप्तिशुदा भूमि पर वादीगण का कब्जा व हक निहित रहा हो। इससे यह उपधारणा की जा सकती है कि उक्त अवाप्तशुदा आराजी पर प्रतिवादीगण का हक व कब्जा निहित था। जो कि शांतिपूर्वक अवाप्तिकर्ता संस्था को अंतरित कर दिया गया। इससे यह अवधारणा की जा सकती है कि तत्समय तक लेहरो की

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.14 10:19:12 IST
Reason: SelfAttested

सम्पत्ति पर भैरसिंह के बतौर गोदपुत्र सालिम अधिकार व कब्जा को वादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए आचरण किया गया है।

52. इसके साथ ही प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा अपने उपर आरोपित कर्तव्य के संबंध में खसरा गिरदावरी व लगान की रसीदें प्रस्तुत की है। उक्त राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से यह उपधारणा की जा सकती है कि लेहरो की सम्पत्ति पर भैरसिंह का सालिम कब्जा रहा है तथा भैरसिंह बतौर काश्तकार उक्त आराजी पर लगान का भुगतान करता रहा है एवं काश्त करते हुए काबिज काश्त रहा है। इस संबंध में वादीगण द्वारा खण्डन हेतु कोई दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्ततु नहीं किया गया है।

53. प्रकरण में वादी द्वारा साक्ष्य प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त लेहरोदेवी की सम्पत्ति पर केसरसिंह व जोगसिंह की कब्जा काश्त होना स्वीकार किया गया है। जिससे यह निष्कर्ष सामने आता है कि लेहरोदेवी की आराजी के मौके पर खेती भैरसिंह के द्वारा की जाती रही है। इससे यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि केसरसिंह व भैरसिंह के द्वारा नारायणसिंह की आराजी पर काश्त नहीं की जा रही हो तथा केवल लेहरोदेवी की आराजी पर ही प्रतिवादीगण काबिज काश्त हो। ऐसा होना उसी स्थिति में व्यावहारिक है जब लेहरोदेवी द्वारा अपनी आराजी पर भैरसिंह को कब्जा दिया गया हो एवं काश्त करवाई जा रही हो। यह उसी स्थिति में व्यावहारिक है जब लेहरोदेवी की आराजी पर नगसिंह व जवाहरसिंह की कब्जा काश्त नहीं होकर केवल भैरसिंह की अकेले की कब्जा काश्त होने पर सगे भाई नगसिंह व जवाहरसिंह की सहमति हो। उक्त सहमति उसी स्थिति में व्यावहारिक है जब भैरसिंह को लेहरोदेवी द्वारा अपने अधिकार प्रदान किये गये हो। यहां यह भी सामने आता है कि लेहरोदेवी की मृत्यु के पश्चात् विरासत का नामांतरकरण संख्या 03 वर्ष 1972 में भैरसिंह के नाम दर्ज किया गया। लेहरोदेवी की मृत्यु के पश्चात् लेहरोदेवी की आराजी पर अकेले भैरसिंह की कब्जा काश्त पर वादीगण की मौन सहमति अपने आप में भैरसिंह को लेहरोदेवी के गोद जाने के तथ्य को मजबूत करती है। प्रकरण में आज भी लेहरो की सम्पत्ति पर केवल भैरसिंह के वारिस केसरसिंह व जोगसिंह काबिज काश्त हैं। साथ ही नारायणसिंह की सम्पत्ति पर भैरसिंह के वारिसान का कब्जा नहीं होकर नगसिंह व जवाहरसिंह के वारिसान का कब्जा काश्त है। इस प्रकार उक्त विवेचन से प्रतीत होता है कि भैरसिंह को लेहरोदेवी द्वारा गोद ग्रहण किया गया था। इस प्रकार भैरसिंह को लेहरोदेवी का गोदपुत्र मानते हुए वादीगण व प्रतिवादीगण का व्यवहार व सम्पत्ति में हक को स्वीकार करने के संबंध में आचरण किया गया है। इससे इस संबंध में प्रतिवादी द्वारा अपने उपर आरोपित उक्त तथ्य को साबित करने के कर्तव्य के निष्पादन प्रतिवादी के उपर आरोपित प्रमाणन का भार (Onus of Proof) को निर्वहन करने में प्रतिवादी सफल रहे है। इससे प्रमाणन का भार (Onus of Proof) वापस वादी के उपर स्थानांतरित होता है। परंतु वादी अपने पक्ष में किसी प्रकार का दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के माध्यम से अपना प्रमाणन का भार (Onus of Proof) प्रस्तुत करने में असफल रहे है। बल्कि भैरसिंह को लेहरोदेवी का गोदपुत्र मानते हुए वादीगण व प्रतिवादीगण का व्यवहार व सम्पत्ति में हक को स्वीकार करने के संबंध में आचरण किया गया है। इस संबंध में वादी के उपर आरोपित प्रमाणन का भार (Onus of Proof) को निर्वहन करने में वादी असफल रहे है। इससे प्रमाणन का भार (Onus of

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.14 10:19:12 IST
Reason: SelfAttested

Proof) वापस प्रतिवादी के उपर स्थानांतरित नहीं होता है। इस आधार पर भैरसिंह को लेहरो का गोदपुत्र माना जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार प्रकरण में भैरसिंह को लेहरो का गोदपुत्र मानने के पश्चात् हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—08 के तहत प्रथम श्रेणी का वारिस गोदपुत्र भैरसिंह है। जबकि वादीगण द्वितीय श्रेणी के वारिस हैं। इस प्रकार कानूनन प्रथम श्रेणी के वारिस होने की स्थिति में द्वितीय श्रेणी के वारिस को विरासत दर्ज नहीं की जा सकती है। इस आधार पर लेहरो की विरासत उसके वैध गोदपुत्र भैरसिंह के नाम नामांतरण संख्या 03 द्वारा सही दर्ज की गई है। विरासत इस प्रकार वादीगण तनकी संख्या 02 को साबित (Burden of Proof) करने में असफल रहे है तथा प्रतिवादी तनकी संख्या 07 को साबित करने में सफल रहे हैं। इस कारण तनकी संख्या 02 वादी के विरूद्ध एवं तनकी संख्या 07 प्रतिवादी के पक्ष में फैसल की जाती है।

54. प्रकरण में अब तनकी संख्या 01 पर विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 01 निम्न प्रकार है:—

1. आया वादीगण ग्राम देवड़ों की ढाणी (धांधलावास) के खेत खसरा संख्या 57 रकबा 27—02 बीघा, खसरा संख्या 82 रकबा 124—07 बीघा की भूमि खातेदारी में घोषित करवाने की अधिकारी है।

..........................वादीगण

53. प्रकरण में तनकी संख्या 01 को साबित करने का भार वादी पर है। उक्त प्रकार से अब प्रकरण में भैरसिंह को लेहरोदेवी का गोदपुत्र माने जाने के पश्चात प्रकरण का विधिक आधारों पर विश्लेषण किया जाना अपेक्षित प्रतीत होता है। प्रकरण में उक्त तनकी संख्या 01, 02 सारतः हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—08 से संबंधित है। प्रकरण में तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों का विश्लेषण आवश्यक है। इस संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—8 का प्रकरण में अवलोकन किया जाना आवश्यक है जिसके प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार है:—

8. General rules of succession in the case of males.—
The property of a male Hindu dying intestate shall devolve according to the provisions of this Chapter:—
(a) firstly, upon the heirs, being the relatives specified in class I of the Schedule;
(b) secondly, if there is no heir of class I, then upon the heirs, being the relatives specified in class II of the Schedule;
(c) thirdly, if there is no heir of any of the two classes, then upon the agnates of the deceased; and
(d) lastly, if there is no agnate, then upon the cognates of the deceased.

54. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—8 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी हिन्दू पुरूष के बिना वसीयत फौत हो जाने पर संपत्ति की विरासत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—8 के अनुसार सर्वप्रथम हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की अनुसूची के वर्ग—1 के अनुसार दर्ज किये जाने के प्रावधान

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.14 10:19:12 IST
Reason: SelfAttested

है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की अनुसूची के वर्ग के अन्तर्गत वारिसों के मध्य संपत्ति की विरासत के संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—09 तथा धारा—10 के तहत प्रावधान बनाये गये है। प्रकरण में अपीलार्थी हिन्दू मृतक के वारिस अभिकथित किये जाने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—09 तथा धारा—10 का प्रकरण में अवलोकन किया जाना आवश्यक है जिसके प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—

> ***9. Order of succession among heirs in the Schedule.—*** *Among the heirs specified in the Schedule, those in class I shall take simultaneously and to the exclusion of all other heirs; those in the first entry in class II shall be preferred to those in the second entry; those in the second entry shall be preferred to those in the third entry; and so on in succession.*
>
> ***10. Distribution of property among heirs in class I of the Schedule.*** *—The property of an intestate shall be divided among the heirs in class I of the Schedule in accordance with the following rules: —*
> *Rule 1.—The intestate's widow, or if there are more widows than one, all the widows together, shall take one share.*
> *Rule 2.—The surviving sons and daughters and the mother of the intestate shall each take one share.*
> *Rule 3.—The heirs in the branch of each pre-deceased son or each pre-deceased daughter of the intestate shall take between them one share.*
> *Rule 4.—The distribution of the share referred to in Rule 3—*
> *(i) among the heirs in the branch of the pre-deceased son shall be so made that his widow (or widows together) and the surviving sons and daughters get equal portions; and the branch of his pre-deceased sons gets the same portion;*
> *(ii) among the heirs in the branch of the pre-deceased daughter shall be so made that the surviving sons and daughters get equal portions.*

55. उक्त हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—09 तथा धारा—10 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी हिन्दू पुरूष के बिना वसीयत फौत हो जाने पर संपत्ति की विरासत में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की अनुसूची के वर्ग—01 के सभी वारिस एक साथ तथा एक समान भाग प्राप्त करते है। किसी हिन्दू पुरूष के बिना वसीयत फौत हो जाने पर संपत्ति की विरासत में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—09 अनुसार अगर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की अनुसूची के वर्ग—01 के वारिस उपलब्ध नहीं होने पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की अनुसूची के वर्ग—02 के वारिसों में सर्वप्रथम प्रथम प्रविष्टि के वारिसों के नाम विरासत दर्ज करने के प्रावधान है। किसी हिन्दू पुरूष के बिना वसीयत फौत हो जाने पर संपत्ति की विरासत में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—09 अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.14 10:19:12 IST
Reason: SelfAttested

अनुसूची के वर्ग—01 के वारिसों के मध्य संपत्ति के विभाजन के सामान्य नियम व निर्देश दिये गये है।

56. प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—09 अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की अनुसूची के वर्ग—01 के वारिसों के मध्य संपत्ति के विभाजन हेतु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की अनुसूची का प्रकरण में अवलोकन किया जाना आवश्यक है जिसके प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—

THE SCHEDULE (See section 8)
HEIRS IN CLASS I AND CLASS II

Class I

Son; daughter; widow; mother; son of a pre-deceased son; daughter of a pre-deceased son; son of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased daughter; widow of a pre-deceased son; son of a pre-deceased son of a pre-deceased son; daughter of a pre-deceased son of a pre-deceased son; widow of a pre-deceased son of a pre-deceased son [son of a predeceased daughter of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased daughter of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased son of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased daughter of a pre-deceased son.

57. प्रथम श्रेणी के वारिसों को निम्न सारणी अनुसार समझा जा सकता है—

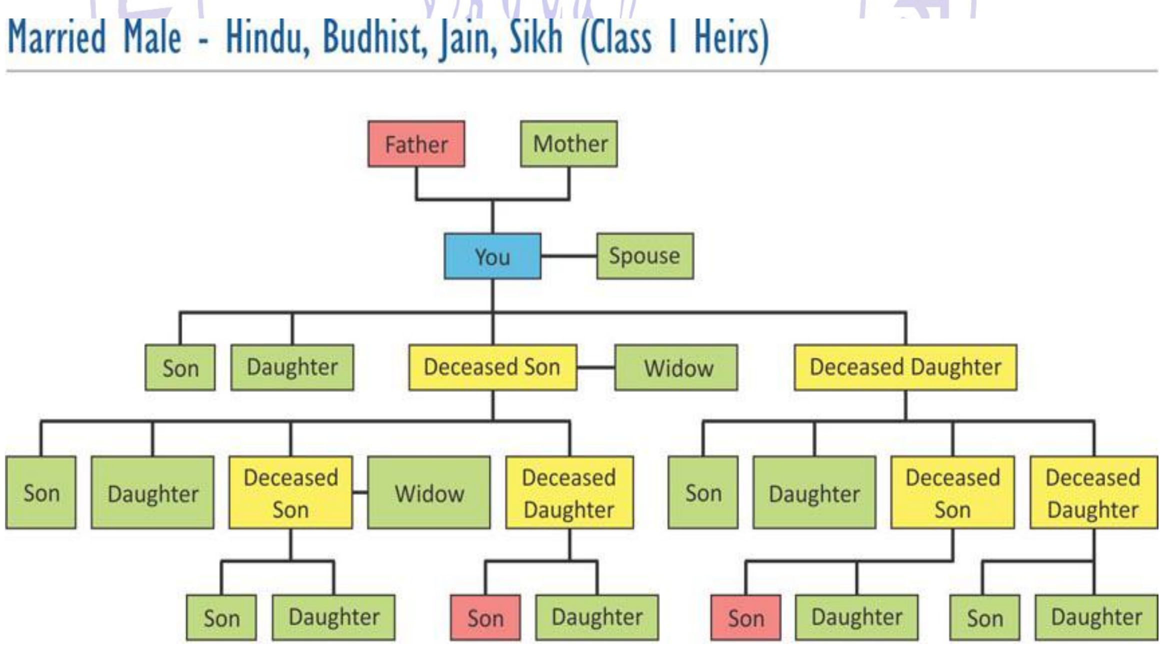

58. प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—09 अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की अनुसूची के वर्ग—01 के वारिसों के मध्य संपत्ति के विभाजन हेतु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की अनुसूची का प्रकरण में अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी हिन्दू पुरूष के बिना वसीयत फौत हो जाने पर संपत्ति की विरासत में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की अनुसूची के

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.14 10:19:12 IST
Reason: SelfAttested

वर्ग—01 के वारिसों में मृतक हिन्दू पुरूष के असल पुत्र, पुत्रीयों, पत्नी तथा माता को भी एक समान भाग प्राप्त होने के प्रावधान है।

59. प्रकरण में भैरसिंह को लेहरोदेवी का गोदपुत्र होने के आधार पर भैरसिंह ही मुस्मात लेहरोदेवी का प्रथम श्रेणी की वारिस है जबकि वादी लेहरोदेवी के द्वितीय श्रेणी के वारिस है। इस कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—09 अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की अनुसूची के वर्ग—01 के वारिसों के मध्य संपत्ति के न्यागमन होने की स्थिति में लेहरोदेवी के द्वितीय श्रेणी के वारिसों से पूर्णरूप से निरपेक्ष रहते हुए लेहरोदेवी की प्रथम श्रेणी की वारिस भैरसिंह को ही लेहरोदेवी का उक्त संपत्ति में सम्पूर्ण हिस्सा भैरसिंह के उपर न्यागत होना विधिसंगत है। अतः भैरसिंह को लेहरोदेवी का गोदपुत्र होने के आधार पर लेहरोदेवी की सम्पत्ति में भैरसिंह के एकल हित व अधिकार निहित हैं।

60. यहां उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—15 के तहत किसी काश्तकार के पूर्व से ही निहित अधिकारों की घोषणा करने हेतु प्रावधान बनाए गए है। एक प्रकार से खातेदारी अधिकारों की घोषणा किसी प्रकार के अधिकारों का नवसृजन नहीं है। बल्कि संबंधित काश्तकार के प्रश्नगत आराजी में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—15 के तहत या अन्य प्रभावी कानून के तहत प्रदत्त एवं पूर्व से ही निहित अधिकारों का प्रस्फुटन/उद्घोषणा मात्र है। इस प्रकार तनकी संख्या 01 को साबित करने में वादी असफल रहा है। इस प्रकार तनकी संख्या 02 वादी के विरूद्ध फैसल किये जाने के कारण तनकी संख्या 01 भी वादीगण के विरूद्ध फैसल की जाती है।

61. इस संबंध में तनकी संख्या 03 के संबंध में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 03 निम्न प्रकार है:—

> 3. आया वादीनी बाद घोषणा उक्त विवादित भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है।
>
> ....वादीगण

62. प्रकरण में तनकी संख्या 03 को साबित करने का भार प्रतिवादी के उपर है। प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि तनकी संख्या 03 स्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित है। प्रकरण में उक्त तनकी के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार है:—

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> > *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> > *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.14 10:19:12 IST
Reason: SelfAttested

(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.
(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

63. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान / अतिक्रमण किया जा रहा हो / किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न / अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे / होने वाले संभावित अतिक्रमण / व्यवधान / घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक / मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण / व्यवधान / घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई / क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत / संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण / व्यवधान / घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई / क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

64. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में तनकी संख्या 01 वादी के विरूद्ध फैसल होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी के कोई खातेदारी अधिकार निहित नहीं होने के आधार पर वादी को स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई आधार उपलब्ध नहीं है। इस कारण वादीगण तनकी संख्या 03 को साबित करने में असफल रहे हैं। इस कारण तनकी संख्या 03 वादीगण के विरूद्ध फैसल की जाती है।

65. इस संबंध में तनकी संख्या 04 के संबंध में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 04 निम्न प्रकार हैः—

> 4. आया वादीगण के द्वारा कब्जा की मांग किये बिना वादीगण का वाद पोषणीय नहीं है, वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 से कब्जा प्राप्ति की समयावधि निकल चुकी है जिससे वादीगण का वाद म्याद बाहर होने से वाद वादीगण खारिज योग्य है?
>
> ....प्रतिवादी संख्या 01

66. प्रकरण में तनकी संख्या 04 को साबित करने का भार प्रतिवादी के उपर है। प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि तनकी संख्या 04 म्याद के बिन्दु से संबंधित है। इस संबंध में प्रतिवादी के उक्त दावा म्याद बाहर होने के अभिकथन के संबंध में वादीनीगण द्वारा उक्त वाद अपनी पैतृक सम्पत्ति में हक अधिकारों की घोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया है। जिसमें लेहरोदेवी के फौतगी नामांतरकरण में

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.14 10:19:12 IST
Reason: SelfAttested

वादी का नाम नहीं लिखा गया था। इस संबंध में किसी खातेदार के फौत होने पर उनके विधिक वारिसान के नाम नामांतरकरण नहीं खोले जाने पर उक्त विधिक वारिसान द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—88 के तहत सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अपनी पैतृक सम्पत्ति में खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा जा सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की तृतीय अनुसूची के अनुसार धारा—88 के दावे हेतु कोई म्याद निर्धारित नहीं की गई है। अतः उक्त प्रावधानानुसार उक्त अनुतोष म्याद से बाधित नहीं होता है। अतएव वादीनीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत दावा म्याद के बिन्दु से बाधित होता प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार प्रतिवादी तनकी संख्या 04 को साबित करने में असफल रहे हैं। अतः तनकी संख्या—04 प्रतिवादी के विरूद्ध फैसल की जाती है।

67. इस संबंध में तनकी संख्या 05 के संबंध में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 05 निम्न प्रकार हैः—

> 5. आया वादग्रस्त आराजी ग्राम देवड़ों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 57 व 82 जरिये पंजीबद्ध दस्तावेज के रहन भारतीय स्टेट बैंक पक्ष में रखी गई है, जो उक्त वाद में हितबद्ध पक्षकार हैं, भारतीय स्टेट बैंक आवश्यक पक्षकार के अभाव में वाद पोषणीय नहीं होने से वाद वादीगण खारिज करवाने के अधिकारी है?
>
> .... प्रतिवादी संख्या 01

68. प्रकरण में तनकी संख्या 05 को साबित करने का भार प्रतिवादी के उपर है। यहां प्रकरण में किसी प्रकरण में आवश्यक व उचित पक्षकार की संकल्पना को समझना आवश्यक है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पेशल लीव पिटिशन संख्या 6024—25/2026 में बउनवान **Nak Engineering Company Pvt. Ltd vs Tarun Keshrichand Shah** में दिये गये निर्णय दिनांक 05.01.2026 में किसी प्रकरण के उचित व आवश्यक पक्षकार के बारे में व्याख्या करते हुए न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किया है। उक्त न्यायिक दृष्टांत के प्रासांगिक पैरा का उद्धरण निम्न प्रकार हैः—

> *32. The above discussion takes us to another aspect of the matter as to whether the appellant is a necessary or a proper party to be impleaded. The governing principles and law in this regard are well-settled.*
>
> *33. The fundamental distinction between a "necessary party" and a "proper party" was succinctly explained in Ramesh Hirachand Kundanmal v. Municipal Corporation of Greater Bombay, wherein this Court held:*
>
> > *"6... A necessary party is one without whom no order can be made effectively. A proper party is one in whose absence an effective order can be made but whose presence is necessary for a complete and final decision on the question involved in the proceeding."*
>
> *34. In Kasturi v. Iyyamperumal, this Court crystallized the twin tests for a necessary party:*
>
> > *"...the question of jurisdiction of the court to invoke Order 1 Rule 10 CPC to add a party who is not made a party in the suit by the plaintiff shall not arise unless a party proposed to*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.14 10:19:12 IST
Reason: SelfAttested

be added has direct and legal interest in the controversy involved in the suit. ... two tests are to be satisfied for determining the question as to who is a necessary party. The tests are: (1) there must be a right to some relief against such party in respect of the controversies involved in the proceedings; (2) no effective decree can be passed in the absence of such party."

35. This principle has been consistently reiterated. In Mumbai International Airport (P) Ltd. v. Regency Convention Centre & Hotels (P) Ltd., this Court reiterated:

> *"15. A "necessary party" is a person who ought to have been joined as a party and in whose absence no effective decree could be passed at all by the court. If a "necessary party" is not impleaded, the suit itself is liable to be dismissed. A "proper party" is a party who, though not a necessary party, is a person whose presence would enable the court to completely, effectively and adequately adjudicate upon all matters in dispute in the suit, though he need not be a person in favour of or against whom the decree is to be made. If a person is not found to be a proper or necessary party, the court has no jurisdiction to implead him, against the wishes of the plaintiff. The fact that a person is likely to secure a right/interest in a suit property, after the suit is decided against the plaintiff, will not make such person a necessary party or a proper party to the suit for specific performance."*

36. Thereafter, in Vidur Impex & Traders (P) Ltd. v. Tosh Apartments (P) Ltd., the broad principles governing impleadment were summarized:

> *"41.2. A necessary party is the person who ought to be joined as party to the suit and in whose absence an effective decree cannot be passed by the court.*
>
> *41.3. A proper party is a person whose presence would enable the court to completely, effectively and properly adjudicate upon all matters and issues, though he may not be a person in favour of or against whom a decree is to be made.*
>
> *41.4. If a person is not found to be a proper or necessary party, the court does not have the jurisdiction to order his impleadment against the wishes of the plaintiff."*

37. In the case at hand, the respondent Nos.1 and 2 are not claiming any relief against the appellant. There is no iota of material to indicate that the relief, as claimed in the suit against respondent No.3, if granted, would be implemented against the appellant. Therefore, the appellant is not a necessary party to the suit.

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.14 10:19:12 IST
Reason: SelfAttested

38. The appellant cannot also be construed as a proper party once it has failed to establish that it is a successor to the respondent No.3. In the absence of any evidence to prove that respondent No.3 has ceased to exist or cannot be represented in the suit on its own to contest it on merits, we are of the opinion that the appellant is not even a proper party to provide any assistance to the court in the suit.

39. This apart, the respondent Nos.1 and 2 who have instituted the suit are dominus litis and it is for them to choose their adversaries. If they do not array the proper and necessary parties to the suit, they do it at their own risk. However, they cannot be compelled to add a party to defend a suit against their wishes. The decree, if any, passed in the suit would be binding only between the parties to the suit and would not infringe upon any right of a third party, much less of the appellant that is not a party to the suit.

40. This conclusion is reinforced by the fundamental principle laid down in Kanaklata Das v. Naba Kumar Das, wherein this Court has observed:

> *"11.4. ...the plaintiff being a dominus litis cannot be compelled to make any third person a party to the suit, be that a plaintiff or the defendant, against his wish unless such person is able to prove that he is a necessary party to the suit and without his presence, the suit cannot proceed and nor can be decided effectively. In other words, no person can compel the plaintiff to allow such person to become the co-plaintiff or defendant in the suit. It is more so when such person is unable to show as to how he is a necessary or proper party to the suit and how without his presence, the suit can neither proceed and nor it can be decided or how his presence is necessary for the effective decision of the suit.*
> *11.5. ... a necessary party is one without whom, no order can be made effectively, a proper party is one in whose absence an effective order can be made but whose presence is necessary for a complete and final decision on the question involved in the proceeding."*

69. प्रकरण में उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी प्रकरण में आवश्यक पक्षकार हेतु आवश्यक प्रथम अवयव है कि किसी व्यक्ति का किसी प्रकरण में निहित विवाद में निहित विषयवस्तु से कोई अनुतोष प्राप्त करने का हक निहित है। साथ ही किसी प्रकरण में आवश्यक पक्षकार हेतु आवश्यक द्वितीय अवयव है कि उस व्यक्ति की उपस्थिति के अभाव में प्रकरण में प्रभावी डिक्री जारी नहीं की जा सकती है। साथ ही किसी प्रकरण में उचित पक्षकार वह व्यक्ति है जिसका प्रकरण में कोई हक व अनुतोष निहित नहीं है तथा उस व्यक्ति की उपस्थिति के बिना भी प्रभावी डिक्री जारी की जा सकती है। परंतु उस प्रकरण में निहित विवाद की विषयवस्तु के अंतिम एवं पूर्ण निर्णयन हेतु उस व्यक्ति की उपस्थिति आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.14 10:19:12 IST
Reason: SelfAttested

70. प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा दावा में वादी के द्वारा मुतनाजा आराजी पर प्राप्त बैंक ऋण के आधार पर संबंधित बैंक को पक्षकार नहीं बनाये जाने के आधार पर वादी का दावा खारिज किये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण में मुतनाजा आराजी पर बैंक ऋण लिया गया है। प्रकरण में अगर वादीगण की खातेदारी हक निहित होने के आधार पर वादीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते हैं तो बिना बैंक ऋण चुकाए उक्त निर्णय की पालना किया जाना संभव नहीं है। इस प्रकार बिना बैंक को पक्षकार बनाये प्रकरण में प्रभावी डिक्री जारी नहीं की जा सकती है। साथ ही बैंक का उक्त विवाद में अपने बैंक ऋण के कारण अनुतोष निहित है। इस प्रकार उक्त प्रकरण में बैंक आवश्यक पक्षकार है। इस कारण बिना बैंक को पक्षकार बनाये वादी का दावा पोषणीय नहीं हैं। इस आधार पर वादी का दावा में बैंक के आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद भी बैंक को पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण काबिल–ए–खारिज है। इस प्रकार तनकी संख्या 05 को प्रतिवादी साबित करने में सफल रहे हैं। इस कारण तनकी संख्या 05 प्रतिवादी के पक्ष में फैसल की जाती है।

53. इस संबंध में तनकी संख्या 06 के संबंध में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 06 निम्न प्रकार हैः–

> 6. आया वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण के हक अधिकार व खातेदारी की भूमि होने के कारण जूंझारसिंह पुत्र जवाहरसिंह के द्वारा क्रय की गई है, उक्त बेचान दस्तावेज में प्रतिवादी सख्या 1 व 2 को खातेदार स्वीकार किया गया, जिससे वादीगण विबन्ध (Estopped) है, इसलिये वाद वादीगण खारिज करवाने के अधिकारी है?
>
> .... प्रतिवादी संख्या 01

54. प्रकरण में तनकी संख्या 06 को साबित करने का भार प्रतिवादी के उपर है। प्रकरण में तनकी संख्या 01 के वादी के विरूद्ध फैसल होने के कारण उक्त तनकी संख्या 06 पर पृथक से विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। अतः तनकी संख्या 06 भी वादीगण के विरूद्ध एवं प्रतिवादी के पक्ष में फैसल की जाती है।

55. निष्कर्षतः प्रकरण में यह निर्विवादित है कि नारायणसिंह के तीन पुत्र क्रमशः नगसिंह, भैरसिंह एवं जवाहरसिंह थे। लेकिन नारायणसिंह की मृत्यु के समय नामांतरण संख्या 04 द्वारा भैरसिंह को छोड़ते हुए विरासत केवल नगसिंह व जवाहरसिंह के नाम दर्ज की गई। इस नामांतरण की कार्यवाही को आदिनांक तक वादी द्वारा चुनौती नहीं दी गई। इससे यह उपधारणा की जा सकती है कि उक्त लम्बी अवधि तक वादी को उक्त नामांतरण संख्या 04 की कार्यवाही से कोई आपत्ति नहीं थी। अगर भैरसिंह को लेहरो के द्वारा गोद नहीं लिया गया होता, तो निश्चित रूप से नारायणसिंह की विरासत में भैरसिंह को भी नगसिंह व जवाहरसिंह के बराबर हिस्सा प्राप्त होता। इससे यह उपधारणा की जा सकती है कि नारायणसिंह की मृत्यु से पूर्व ही भैरसिंह को लेहरोदेवी द्वारा गोद ग्रहण कर लिया था। उक्त नामांतरण संख्या 03 की कार्यवाही नारायणसिंह की मृत्यु से पूर्व सम्पादित की गई थी। अर्थात्त नारायणसिंह को भी यह स्वीकार था कि भैरसिंह को लेहरोदेवी द्वारा गोद लिया गया है। इसी आधार पर लेहरोदेवी की सम्पत्ति विरासत में अकेले भैरसिंह को प्राप्त हुई है। प्रकरण में उक्त नामांतरण संख्या 04 की

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.14 10:19:12 IST
Reason: SelfAttested

कार्यवाही के पश्चात् वादीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी पर तकावी लिया गया। इससे यह ज्ञात होता है कि वादीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी के इन्द्राज की बखुबी जानकारी थी। उक्त राजस्व इन्द्राज की जानकारी रखने पर भी वादीगण द्वारा बैंक ऋण प्राप्त किया गया। इससे यह उपधारणा की जा सकती है कि नारायणसिंह की मृत्यु के पश्चात् नारायणसिंह की सम्पत्ति में भैरसिंह को कोई अधिकार नहीं दिया गया। क्योंकि नामांतरण संख्या 04 के अमल से पूर्व ही नामांतरण संख्या 03 के द्वारा भैरसिंह को लेहरोदेवी का वारिस घोषित किया जा चुका था। इस प्रकार नामांतरण संख्या 03 व 04 की अनुपूरक कार्यवाही वादीगण को स्वीकार थी। इस प्रकार वादी द्वारा भैरसिंह को लेहरो का गोदपुत्र के रूप में लेहरो की सम्पूर्ण सम्पत्ति पर भैरसिंह के सालिम अधिकार को स्वीकार करने का आचरण किया।प्रकरण में भैरसिंह को लेहरोदेवी का गोदपुत्र होने के आधार पर भैरसिंह ही मुस्मात लेहरोदेवी का प्रथम श्रेणी की वारिस है जबकि वादी लेहरोदेवी के द्वितीय श्रेणी के वारिस है। इस कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—09 अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की अनुसूची के वर्ग—01 के वारिसों के मध्य संपत्ति के न्यागमन होने की स्थिति में लेहरोदेवी के द्वितीय श्रेणी के वारिसों से पूर्णरूप से निरपेक्ष रहते हुए लेहरोदेवी की प्रथम श्रेणी की वारिस भैरसिंह को ही लेहरोदेवी का उक्त संपत्ति में सम्पूर्ण हिस्सा भैरसिंह के उपर न्यागत होना विधिसंगत है। अतः भैरसिंह को लेहरोदेवी का गोदपुत्र होने के आधार पर लेहरोदेवी की सम्पत्ति में भैरसिंह के एकल हित व अधिकार निहित हैं। साथ ही वादी का दावा में बैंक के आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद भी बैंक को पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण काबिल—ए—खारिज है। अतः

आदेश है कि

वादी का दावा बाबत् इस्तक्कराराहक व हुक्म—ए—इम्तनाई खारिज किया जाता है।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 04.05.2026 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.14 10:19:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2021/107 दर्ज तिथिः—09.04.2021

1. दोलसिंह पुत्र भंवरसिंह
2. खुशालसिंह पुत्र खीमसिंह
3. पहाड़सिंह पुत्र नगसिंह
   3/1 विक्रमसिंह पुत्र पहाड़सिंह
   3/2 अनोपसिंह पुत्र पहाड़सिंह
   3/3 अर्जुनसिंह पुत्र पहाड़सिंह
   3/4 भंवरी कंवर पत्नी पहाड़सिंह
4. फतेहसिंह उर्फ पतसिंह पुत्र नगसिंह
5. गेनसिंह पुत्र नगसिंह
6. जूंजारसिंह पुत्र जबरसिंह
   जाति राजपुत निवासी धांधलावास तहसील गुड़ामालानी

.............................वादीगण

बनाम

1. केसरसिंह पुत्र भैरसिंह
2. जोगसिंह पुत्र भेरसिंह
   जाति राजपुत निवासी धांधलावास तहसील गुड़ामालानी

...........................असल प्रतिवादीगण

3. राजस्थान सरकार तहसीलदार गुड़ामालानी

...............तकमीली प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री हरीशचन्द्र चौधरी
प्रतिवादीः—श्री नारायण कुमावत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

वादी का दावा बाबत् इस्तक्करारहक व हुक्म—ए—इम्तनाई खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.14 10:19:12 IST
Reason: SelfAttested

यह पर्चा—डिक्री पालनार्थ हेतु संबंधित को तहरीर जारी की जावें। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा—डिक्री आज दिनांक 04.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.14 10:19:12 IST
Reason: SelfAttested